रजिस्ट्री सं. डी—(डी एन)—128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 21, 1991 (अग्रहायण 30, 1913)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 21, 1991 (AGRAHAYANA 30, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 28 नवम्बर 1991

सं. क्र. 19/1991—इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री एन. एम. श्रीनिवासन के स्थान पर श्री के. जोसेफ मैथ्यू, "मैरीकमोल" कैयालक्कार्कोम हाउस, कौउंडीयार, त्रिवेन्द्रम-3, को स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 29 नवम्बर 1991 से 28 नवम्बर 1994 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

हस्ताक्षर अपठनीय
अध्यक्ष

दिनांक 31 अक्तूबर 1991

स. क्र 10/1991—भारतीय स्टेट बैंक आफ (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 63 की उप धारा (1) के अंतर्गत दिये गये अधिकारों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ हैदराबाद (कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान) न्यास में निम्नलिखित संशोधन किया है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के निदेशक मंडल द्वारा भी अनुमोदित है :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ :**

(क) इन विनियमों को स्टेट बैंक आफ हैदराबाद (कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी का भुगतान) विनियमन, 1960 कहा जाएगा।

(ख) वे दिनांक 1 अक्तूबर 1959 से लागू समझे जाएंगे।

2. **परिभाषाएं** :

इन विनियमों के, विषयवस्तु के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित के सिवाय :

(क) "बैंक" से स्टेट बैंक आफ हैदराबाद अभिप्रेत है।

(ख) "बोर्ड" से बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है।

(ग) "कर्मचारी" से कोई कर्मचारी, जो दिनांक 1 अक्तूबर 1959 को बैंक की स्थायी सेवा में है परन्तु स्टेट बैंक आफ हैदराबाद कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य नहीं है या बैंक का कोई स्थायी कर्मचारी जो दिनांक 1 अक्तूबर 1959 या उसके बाद बैंक में नियुक्त हुआ है (और अन्य कर्मचारी जो उस दिनांक को या उसके बाद परिवीक्षा पर या अस्थायी आधार पर नियुक्त हुआ है और उसी पद में स्थायी हो जाता है तब वह स्थायी कर्मचारी हो जाता है), अभिप्रेत है।

(घ) विनियम 4 के उप-विनियम (1) तथा विनियम 5 के प्रयोजन के लिए "बैंक में सेवा" वाक्यांश में बैंक में कर्मचारी के स्थायीकरण के तुरंत पहले की उसकी सतत परिवीक्षा या स्थायी सेवा अवधि भी सम्मिलित होगी।

(ङ) "वेतन" से औसतन मूलपद वेतन और विशेष भत्ते और स्थानापन्न भत्ते, जो यथास्थिति मृत्यु, अपंगता, सेवा निवृत्ति, पदत्याग या सेवा से बरखास्तगी के तत्काल पहले के 12 महीने के दौरान देय थी, या कोई अन्य परिलब्धियां, जो बोर्ड द्वारा "वेतन" के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत की जाए, अभिप्रेत है। परन्तु यह कि स्टेट बैंक आफ हैदराबाद (अधिकारी) सेवा विनियमन 1979 द्वारा नियंत्रित कर्मचारियों के मामले में वेतन में सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अपंगता या पद त्याग या 10 वर्ष की सेवा पूर्ति के बाद दण्ड के रूप में कटे छोड़कर, किसी भी अन्य प्रकार से सेवा समाप्ति के दिनांक को उसके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन अभिप्रेत होगा।

(च) "ग्रेच्युइटी निधि" से दिनांक 17 नवम्बर 1975 के ग्रेच्युइटी ट्रस्ट डिलेड में परिभाषित ग्रेच्युइटी निधि अभिप्रेत है।

(छ) "न्यासी" से विनियम 3 के अनुसार गठित व्यक्ति जिनमें ग्रेच्युइटी निधि निहित है, अभिप्रेत है।

3. न्यासी से, बैंक के निदेशक बोर्ड के सदस्य जिनमें उनकी न्यासी हैसियत में "ग्रेच्युटी निधि" निहित है, अभिप्रेत है, न्यासी का भारत में निवास होगा और उसके स्थायी रूप से भारत छोड़ने पर ऐसा न्यासी अपना पद छोड़ देगा। प्रबंध निदेशक कार्यकारी न्यासी होंगे तथा उन्हें ग्रेच्युइटी निधि के दैनिक संचालन के अधिकार होंगे।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए "प्रबंध निदेशक" अभिव्यक्ति का अर्थ बैंक के इस समय के प्रबंध निदेशक से होगा और इसमें स्थानापन्न या कार्यकारी प्रबंध निदेशक भी सम्मिलित है अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति जो बैंक के प्रबंध निदेशक के कार्य कर रहे हैं। कार्यकारी न्यासी द्वारा इस प्रयोजन में विनिर्दिष्ट बैंक का एक अधिकारी इस निधि का पदेन सचिव होगा।

4. **न्यासियों की बैठक** :

(1) न्यासियों की प्रत्येक बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में सामान्यतः अथवा कोई विशेष बैठक के संबंध में अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत बैंक के कोई निदेशक तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति या वैसे प्राधिकरण के न होने पर उपस्थित न्यासियों में से चुना गया कोई न्यासी बैठक का अध्यक्ष होगा। कारोबार के संचालन के लिए कम से कम तीन न्यासियों का उपस्थित रहना, जिसमें से एक कार्यकारी न्यासी होगा, कोरम के लिए आवश्यक है। बैठक में उठाए गए प्रश्नों को बहुमत से पास कर निर्णय लिया जाएगा, और बराबरी के मामले में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

(2) न्यासियों का परिचालन द्वारा पारित तथा अधिकांश न्यासियों द्वारा हस्ताक्षरित किया संकल्प वैसे ही वैध तथा मान्य होगा मानो वह न्यासियों की गठित एवं विधिवत् बुलाई गई बैठक में पारित किया गया हो। संकल्प पर अंतिम न्यासी के हस्ताक्षर का दिनांक संकल्प का दिनांक होगा।

(3) न्यासियों के समय समय पर संकल्प द्वारा या उनके हस्ताक्षर से संकल्पों द्वारा, किसी एक या एक से अधिक न्यासियों को हस्ताक्षर करने अथवा भारसाधन हेतु सरकारी वचन-पत्र, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां तथा न्यासियों द्वारा धारित अन्य सभी प्रतिभूतियां या हस्ताक्षरित अथवा पृष्ठांकित चैक, ड्राफ्ट, ब्याज-वारंट तथा ब्याज के लिए प्राप्तियों के परिवर्तन के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

5. **लेखों के विवरण**

ग्रेच्युटी निधि लेखा वार्षिक 31 मार्च पर तैयार किए जाएंगे तथा उस तिथि में लेखापरीक्षित स्थिति विवरण बैठक में, जो प्रतिवर्ष दिनांक 31 जुलाई के पूर्व होगी, प्रस्तुत किए जाएंगे।

6. **निधि रकम में बैंक का स्वार्थ न रहे**

ग्रेच्युटी निधि की कोई रकम किसी भी परिस्थिति में बैंक द्वारा प्राप्य नहीं होगी, न ही बैंक का ग्रेच्युटी राशि पर कोई प्रत्यावर्तनाधिकार अथवा प्रभार होगा।

7. **निधि का निवेश**

निधि की समस्त रकम बैंक में अलग खाते में जो "स्टेट बैंक आफ हैदराबाद (कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान) न्यास" के रूप में होगा, जमा की जा सकेगी और ऐसी रकम जो न्यासियों द्वारा जमा नहीं की गई है, भारत सरकार द्वारा आय कर नियम 1962 के नियम 101 के अनुसार या उस समय लागू उसके किसी सांविधिक आशोधन के अनुरूप उस समय अधिसूचित कोई भी प्रतिभूतियों में न्यासियों द्वारा निवेश किया जाएगा। यह निवेश इस भांति हो कि निवेश की गई रकम भारत में पूंजी लाभ कर के लिए देय होगी।

8. **निधि के लिए निदेशकों की भरती** :

निधि के लाभ में बैंक के कोई भी निदेशक को प्रवेश दिया जा सकता है यदि वह बैंक का पूर्णकालिक वास्तविक कर्मचारी

है तथा बैंक में लाभार्थी के रूप में शेयर का स्वामी नहीं है तथा जिसको 5 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार नहीं है।

9. **बैंक का अंशदान** :

निधि के लिए बैंक द्वारा साधारण वार्षिक अंशक उचित आधार पर प्रत्येक संबंधित कर्मचारी की सेवा की अवधि का ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, अतः किसी भी तरह, ऐसा अंशदान प्रत्येक वर्ष के दौरान हर एक कर्मचारी के उसके वेतन के $8\frac{1}{3}\%$ से अधिक नहीं होगा । इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों की अवधि के बाद या पूर्व न्यासियों द्वारा स्थिति की समीक्षा करनी होगी तथा उस तिथि की देयता एवं पहले ही किए गए अंशदान की राशि तथा निधि की प्राधिकृत अनुमानित आय वैज्ञानिक बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित करने के बाद, बैंक उस दिन में ग्रेच्युइटी देय के अंतर का निधि में अंशदान कर सकेगा बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में अंशदान प्रत्येक कर्मचारी के वेतन के $8\frac{1}{3}\%$ से अधिक नहीं होगा ।

10. **खर्च** :

प्रबंध के सभी आवश्यक खर्च तथा अन्य लागत प्रभार एवं व्यय जो न्यासियों द्वारा ग्रेच्युटी निधि के संबंध में किसी भी कारण के लिए खर्च किए जाते हैं, बैंक द्वारा उठाये जाएंगे।

11. **ग्रेच्युटी का भुगतान निधि में से किया जाना है** :

बैंक द्वारा किसी कर्मचारी का मंजूर की गई कोई ग्रेच्युइटी या ग्रेच्युटी प्राप्ति के पहले उसकी मृत्यु के मामले में इन विनियमों के अंतर्गत, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यासियों द्वारा ग्रेच्युइटी निधि केवल कर्मचारी अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को केवल भारत में भुगतान किया जाएगा।

12. **मंजूरी की शर्तें** :

किसी भी कर्मचारि को इन विनियमनों में उल्लिखित शर्तों, निबंधनों एवं अन्य प्रावधानों के अधीन ग्रेच्युटी स्वीकृत की जाएगी । परन्तु इस विनियम में उल्लिखित किसी बात को किसी कर्मचारी, जिनकी बैंक में सेवा निर्धारित समय के लिए उसकी सेवा को निबंधित करते हुए स्पष्ट संविदा द्वारा नियोजित हो, अपने अधिकार या फायदे के लिए समर्थन स्वरूप नहीं माना जाएगा जब तक करार में अन्यथा न दिया गया हो।

13. **कब अनुज्ञेय होगा** :

कर्मचारी को या कर्मचारी के मामले में ग्रेच्युइटी स्वीकृत की जाएगी, यदि

(1) वह बैंक की सेवा के दौरान मर जाता है, या

(2) वह शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होने के कारण बैंक की सेवा आगे नहीं कर सकता, या

(3) वह निवर्तन आयु प्राप्ति पर सेवा से निवृत्त होता है, या

(4) वह निवर्तन आयु के पूर्व बैंक के अनुमति से सेवा निवृत्त होता है, या

(5) वह ग्रेच्युटी के भुगतान का दावे में हकदार है :

(क) इन विनियमों के प्रावधानों तथा ग्रेच्युटी के भुगतान अधिनियम 1972 के अधीन भी, 5 वर्ष के पूर्ण सेवा के बाद बैंक के सेवा से पदत्याग करता है।

(ख) वह सिर्फ इन विनियमनों के प्रावधानों के अंतर्गत ग्रेच्युइटी के भुगतान का हकदार है परन्तु ग्रेच्युटी के भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं, 10 वर्ष की पूर्ण सेवा के बाद बैंक की सेवा से पदत्याग करता है, नीचे दिए गए उपबन्धों के अधीन :

(6) दुराचार के लिए बरखास्तगी को छोड़कर किसी अन्य कारण से बैंक द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है,

(क) बैंक की सेवा से किसी कर्मचारी के दुराचार के कारण बरखास्तगी के मामले में, जो अन्यथा इन्हीं विनियमनों के अधीन ग्रेच्युइटी भुगतान के लिए हकदार रहता लेकिन ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नहीं, उसे कोई ग्रेच्युइटी देय नहीं होगी।

(ख) इन विनियमनों के प्रावधानों एवं वैसे ही ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के के अधीन अन्यथा ग्रेच्युइटी के लिए भुगतान के हकदार कर्मचारियों को कोई ग्रेच्युइटी देय नहीं होगी यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जाती है।

(1) उसके उपद्रवी या अनियमित आचरण या उसके द्वारा अन्य कोई हिंसा की क्रिया के लिए, अथवा

(2) ऐसा कोई भी कार्य जो नैतिक अधमता के अपराध की स्थापना करता है बशर्ते कि उसके द्वारा ऐसा अपराध अपनी नौकरी के दौरान किया गया है।

(7) तथापि, बशर्ते कि उपर्युक्त इसमें किसी बात के होते हुए भी कर्मचारी को या स्टेट बैंक आफ हैदराबाद (अधिकारी) सेवा विनियमन 1979 के अंतर्गत कर्मचारी के

(क) सेवानिवृत्ति

(ख) मृत्यु

(ग) अंगहीन जो उसे और सेवा के लिए अनुपयुक्त ठहराती है जैसा कि बैंक के द्वारा स्वीकृत चिकित्सा-अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है,

(घ) दस वर्ष की लगातार सेवा के बाद पदत्याग,

(ङ) दस वर्ष की लगातार सेवा की समाप्ति के बाद दण्ड के तरीके को छोड़कर किसी अन्य तरीके से सेवा समाप्ति, के संबंध में ग्रेच्युटी स्वीकृत की जाएगी।

13(2) कर्मचारी को देय ग्रेच्युइटी रकम का निर्धारण करते समय बैंक :—

(1) केवल इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी कर्मचारी के भुगतान के लिए हकदार रहने के मामले

में, वैसे कर्मचारी की अदक्षता या दुराचार के कारण हुई किसी वित्तीय हानि की रकम घटाते हुए ग्रेच्युटी की रकम मंजूर कर सकता है।

(2) उस कर्मचारी के मामले में जो ग्रेच्युटी भुगतान के लिए, इन विनियमों तथा वैसे ही ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अधीन हकदार है :

(क) ग्रेच्युटी के भुगतान अधिनियम 1972 के लागू होने के पूर्व, कर्मचारी की अदक्षता या दुराचार के कारण हुई किसी वित्तीय हानि यद्यपि ऐसे दुराचार के लिए उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की गई, को रकम घटाते हुए ग्रेच्युटी की रकम मंजूर की जाए।

(ख) कर्मचारी की जानबूझकर चूक, लापरवाही जिससे बैंक की संपत्ति को टूट-फूट या हानि पहुंचती है या संपत्ति नष्ट होती है, ऐसे कर्मचारी की सेवाएं यदि समाप्त की जाती है तो बैंक को हुई हानि या क्षति को समयहरण किया जाए।

14. **अनुज्ञेय राशि :**

विनियम 13 के प्रावधानो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी कर्मचारी को स्वीकार्य ग्रेच्युटी की राशि निम्नानुसार होगी :—

(क) बैंक में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के बराबर राशि परन्तु अधिकतम 15 महीने के वेतन के बराबर राशि के अध्यधीन

(ख) बैंक में 30 वर्ष की सेवा से अधिक की अवधि के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त राशि।

(ग) ऊपर उप अनुच्छेद (क) और (ख) में संदर्भित उद्देश्य के लिए पूर्ण वर्ष की सेवा के पश्चात् की अवधि यदि 6 माह या इससे अधिक परन्तु एक वर्ष से कम हो तो ग्रेच्युटी के उद्देश्य हेतु उसे गणना में लिया जाएगा।

बशर्ते कि, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार या वर्तमान में प्रभावी उसके किसी सांविधिक संशोधन के अनुसार यदि कर्मचारी को देय राशि, ग्रेच्युटी की अनुज्ञेय राशि जो उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के अनुसार निर्धारित राशि से अधिक है तो कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिक देय राशि का हकदार होगा।

15. **नामांकन**

(1) ग्रेच्युटी निधि के न्यासियों द्वारा कर्मचारी को ग्रेच्युटी रकम की देय तिथि के पूर्व या देय हुई रकम को अदा नहीं किए जाने के पूर्व, एक या अधिक व्यक्तियों को, उसके मृत्यु के मामले में ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने के अधिकारों के लिए नामांकन की अनुमति किया जा सकता है। ऐसा नामांकन इसकी सूची में फार्म "एफ" में किया जाना चाहिए या आवश्यकता अनुसार उसके लगभग समान के फार्म में किया जाना चाहिए।

(2) यदि कोई कर्मचारी उपर्युक्त शर्त के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियो को नामित करता है, वह अपने नामांकन में प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को राशि या देय हिस्से का इस तरह से उल्लेख करें कि वह संपूर्ण ग्रेच्युटी की रकम, जो उसकी मृत्यु की घटना में देय होगी, कवर हो जाए।

(3) नामांकन के समय कर्मचारी का परिवार रहने के मामले में, नामांकन उसके परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा। ऐसे कर्मचारी द्वारा उसके परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामांकन अवैध रहेगा।

(4) नामांकन के समय कर्मचारी का परिवार न रहने के मामले में, नामांकन कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में रह सकता है, परन्तु यदि कर्मचारी बाद में परिवार प्राप्त कर लेता है तो ऐसा नामांकन आगे अवैध माना जाएगा एवं कर्मचारी को उसके परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नए नामांकन की अनुमति दी जा सकती है।

(5) कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन उसके द्वारा किसी भी समय अपने इस इरादे को इसकी सूची में फार्म "बी" में या उसके लगभग समान के फार्म में आवश्यकतानुसार, न्यासियों की लिखित सूचना द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

(6) यदि नामांकित की कर्मचारी के पहले मृत्यु हो जाती है तो नामांकित के अधिकार फिर से कर्मचारी को प्राप्त होंगे, जो उस पर ऐसे अधिकार में संबंध में नया नामांकन कर सकता है।

(7) नामांकन या उसका संशोधन उसकी वैध सीमा तक न्यासियों द्वारा प्राप्त दिनांक से लागू होगी।

कर्मचारी के संबंध में "परिवार" में निम्न सम्मिलित माना जाएगे :

(क) पुरुष कर्मचारी के मामले में, वह स्वतः, उसकी पत्नी, उसके बच्चे—विवाहित या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके पूर्व मृत लड़के की विधवा पत्नी एवं बच्चे, यदि कोई है।

(ख) महिला कर्मचारी के मामले में, वह स्वतः, उसका पति, उसके बच्चे—विवाहित या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके पूर्व मृत लड़के की विधवा पत्नी एवं बच्चे, यदि कोई है।

बशर्ते कि यदि कोई महिला कर्मचारी, नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित रूप में अपने पति को अपने परिवार से अलग करने की इच्छा व्यक्त करती है, वह पति एवं उसके आश्रित माता-पिता को तुरन्त से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे महिला कर्मचारी के परिवार में सम्मिलित नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसे महिला कर्मचारी द्वारा उक्त सूचना बाद में वापस न ले ली जाए।

स्पष्टीकरण : जहां पर कोई कर्मचारी को उसके स्वीय विधि में उसके द्वारा बच्चा दत्तक लेने के लिए अनुमति देता है, उसके द्वारा विधिपूर्वक दत्तक लिया गया कोई भी बच्चा उसके परिवार में सम्मिलित माना जाएगा और जहां कर्मचारी का बच्चा किसी अन्य द्वारा दत्तक लिया जाता है तथा ऐसा दत्तक देना दत्तक करने वाले व्यक्ति के स्वीय विधि के अंतर्गत विधिपूर्ण है, ऐसा बच्चा उस कर्मचारी के परिवार से निकला गया है, माना जाएगा।

16. **कर्मचारी की मृत्यु पर भुगतान :**

ग्रेच्युइटी की प्राप्ति के पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर अनुज्ञेय ग्रेच्युटी रकम का भुगतान उसके नाम निर्वाचिती को किया जाएगा यदि उसने विनियम—15 के अनुसार वैध नामांकन किया है या ऐसे नामांकन की अनुपस्थिती में उसके वारिस को वैसे प्रमाण तथा क्षतिपूर्ति की शर्तों पर या अन्यथा न्यासियों द्वारा निर्धारित या अपेक्षित शर्तों के आधार पर ग्रेच्युइटी का भुगतान किया जाएगा।

17. **कर दायित्व :**

कर्मचारी को मंजूर की गई ग्रेच्युइटी रकम पर अगर कोई आय-कर या सुपर-कर देय हो तो उसका भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा।

18. **विनियमों में परिवर्धन तथा परिवर्तन :**

आय-कर आयुक्त की स्वीकृति की शर्त पर, न्यासियों द्वारा इन विनियमों के किसी भी प्रावधानों में बदल, हटाया, परिवर्तन या बढ़ाया जा सकता है जिससे कि ऐसे परिवर्तन, हटाना, विभिन्नता या परिवर्तन योजना के मुख्य उद्देश्य से असंगत न हो जाए।

19. **नियोजक का समापन :**

जब नियोजक (बैंक) को समाप्त किया जाना या बन्द किया जाना है, नियोजक से ऐसे प्रस्तावित समाप्त/बन्द किए जाने की सूचना प्राप्ति पर या समापन किए जाने के लिए दिए गए आदेश पर, न्यासियों द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति तिथि या समापन आदेश से न्यासियों द्वारा निधि बंद की जाएगी, एवं आयकर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन एवं उनके द्वारा निर्धारित अन्य ऐसी शर्तों के अधीन मानो कि सूचना प्राप्ति के दिनांक पर या समापन आदेश, जैसा भी मामला हो, के आधार पर नौकरी समाप्त की गई है, न्यासियों द्वारा वर्तमान हिताधिकारियों को ग्रेच्युटी भुगतान के लिए समाधानकारक व्यवस्था की जाएगी।

20. **निर्वाचन**

कर्मचारियों के लिए इन विनियमों के संबंध में या इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित या ग्रेच्युटी निधि एवं उसके संचालन के संबंध के प्रश्न, विवाद के सभी संबंध एवं सभा मामलों में न्यासियों का निर्णय अंतिम निर्णय होगा तथा कर्मचारियों के लिए बाध्यकर होगा।

केन्द्रीय निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(बी. महादेवन)

प्रबंध निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

(चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स)

कलकत्ता-700071, दिनांक 24 नवम्बर 1991

सं० 3-ई० सी० ए० (8)/ 3/91-92—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं ।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	10801	श्री भीखम चन्द लम्बोरिया, एफ०सी०ए०, पी-14, सी०आई०टी० रोड, 3 फ्लोर, कलकत्ता-700073	29-07-91
2.	52108	श्री संजय वी० शाह, ए०सी०ए०, 85, चौरिंघी रोड, 2 फ्लोर, फ्लैट सं० 6, कलकत्ता-700020	17-09-91
3.	54149	श्री श्रीमोहन कोठारी, ए०सी०ए०, 49/43, रविन्द्र सरानी, रीसरा-712248	20-07-91
4.	54949	मिसिज वर्षा उदय महाजन, ए०सी०ए०, ई/175 सैक्टर-4, राउरकेला-769002	03-04-91
5.	55397	श्री अनिल कुमार गुप्ता, ए०सी०ए०, 11/ए, अर्ले स्ट्रीट, 1 फ्लोर, कलकत्ता-700026	02-07-91
6.	53540	श्री भास्कर रोय, ए०सी०ए०, मैनेजर-फाइनैन्स एण्ड एकाउन्ट्स, यू०पी०, स्ट्राव एण्ड प्रोडक्ट्स, पी०ओ० : अधवानपुर-241502 डिस्ट०-मुरादाबाद	29-06-91

ए० के० मजुमदार

सचिव

कानपुर-208001, दिनांक 21 अक्तूबर 19

सं० 3-सी० सी० ए०/ 5/6/91-92— इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-सी० सी० ए०/ 4/7/ 86-87 दिनांक 20-02-87, 3-सी सी०ए०, (4)/ 7/ 90-91, दिनांक 30-11-90 एवं 3-सी० सी० ए० (4) (9) /90-91, दिनांक 31-12-90 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	15831	श्री डालीचन्द्र जैन, एफ०सी०ए० सीनियर प्रेसीडेंट मार्डन ट्रेडर्स (1) लि०, ग्राम-कैमा, जिला-भीलवाड़ा	27-05-91
2.	50739	श्री रविन्द्रनाथ घोष, ए०सी०ए०, एन०एच०-3/सी-17, बी०एम०टी०पी०पी०, पी०टी०एस० विन्ध्यानगर, जिला-सिद्धी-486885 (एम०पी०)	26-09-91
3.	70583	श्री अजय कुमार मेहरोत्रा, एफ०सी०ए०, 1/1, बी०डी०ए० शापिंग काम्पलेक्स, पीलीभीत रोड, बरेली	25-06-91
4.	72880	श्री संजीव कुमार अग्रवाल, ए०सी०ए०, 120/417, लाजपतनगर, कानपुर	08-09-91
5.	73542	श्री दिनेश सिंह, ए०सी०ए०, एल०-4-डी० यूनिवर्सिटी कैम्पस, जयपुर-4	30-08-91
6.	80192	श्री अशोक चन्द्र त्यागी, ए०सी०ए०, ए-31, सूर्यनगर, गाजियाबाद	25-07-91
7.	88695	श्री कैलाश चन्द्र गोयका, ए०सी०ए०, ई-44, सैक्टर-6, नोडिया-201301	01-10-90

सं० 3-सी० सी० ए० (8) (2)/ 91-92— चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम सन् 1988 ई० के विनियम 10 (1) खण्ड-3 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	12138	श्री आदित्यनारायन शुक्ला, एफ०सी०ए०, 915, कैरीगन प्लेस, विन्नीपेग, आर० 3 टी० 4 पी० 9, कनाडा	01-04-91
2.	15037	श्री ओम प्रकाश शुक्ला, एफ०सी०ए०, 2/235, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	15-06-91
3.	70021	श्री नवरतन मन्धाना, एफ०सी०ए०, मन्धाना भवन, चोपसानी रोड, जोधपुर-342003	05-05-91
4.	70114	श्री दिलीप भार्गव, एफ०सी०ए०, 3/11, विष्णुपुरी, कानपुर-208002	22-04-91
5.	70702	श्री उमेश चन्द्र, एफ०सी०ए०, आर०-10/61, न्यू राज नगर, गाजियाबाद	01-07-91
6.	71726	श्री विजय कुमार ठुकराल, एफ०सी०ए०, 127/1/70, डब्ल्यू०-1 ब्लाक, अपो० पराग मिल्क डेयरी कालोनी साकेतनगर, कानपुर-208014	06-06-91
7.	71870	श्री सुन्दरलाल, मालू, एफ०सी०ए०, 506-ए एशियन प्लाजा, बुद्धमार्ग, पटना-800001	25-07-91

1	2	3	4
8.	72307	श्री विजय कुमार, एफ०सी०ए०, यू०पी०एफ०सी० रीजनल-आफिस, बी-10, आवास विकास कालोनी, सहारनपुर	24-07-91
9.	73576	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, ए०सी०ए०, 20 गुलमार्ग काम्प्लेक्स, सपना संगीता टाकीज के पास, इन्दौर-452001	17-06-91
10.	74200	श्री दुलीचन्द काबरा, ए०सी०ए०, बी०एच० 67, हिन्डालको कालोनी, सोनभद्र, रेनुकूट-231317	01-04-91
11.	74268	श्री कैलाश जैन, ए०सी०ए०, मार्फत-मैसर्स जगदीश एण्ड कं०, प्रताप चौक, बरन-325205 (राज०)	20-06-91

ए०के० मजूमदार,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 1991

सं० एन०-12/13/2/91-यो० एवं वि० —:कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4, दिनांक 22 जून, 1991 में उनके पूर्व प्रकाशन के बाद उसके द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) तृतीय संशोधन विनियम, 1991 कहे जाएंगे।

   (2) ये 1 जनवरी, 1992 से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31-ख के बाद निम्नलिखित नया विनियम 31-ग अन्तः स्थापित किया जाएगा। "31-ग समय पर संदाय नहीं किए गए देय अभिदाय या किसी अन्य राशि पर हर्जाना

विनियम 31 के अधीन निर्धारित अवधि के अन्दर अभिदाय अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन देय किसी अन्य राशि का संदाय नहीं करने वाला नियोजक निम्न अनुसार हर्जाने का संदाय करने के लिए बाध्य होगा :—

विलम्ब की अवधि	प्रतिशत वार्षिक की दर से हर्जाने की दर
(1) 2 मास तक	5 प्रतिशत
(2) 2 मास और अधिक परन्तु 4 मास से कम	10 प्रतिशत
(3) 4 मास तथा अधिक परन्तु 6 मास से कम	15 प्रतिशत
(4) 6 मास और अधिक	25 प्रतिशत

परन्तु निगम, ऐसे किसी कारखाने अथवा स्थापना के सम्बन्ध में जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में घोषित किया गया है और जिसके सम्बन्ध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुर्नवास योजना स्वीकृत की गई है,

(क) उपक्रम (मों) के कामगार सहकारी में हस्तान्तरण सहित प्रबन्ध के परिवर्तन के मामले में अथवा रूग्ण औद्योगिक कम्पनी का किसी स्वस्थ कम्पनी के साथ विलयन अथवा समामेलन के मामले में, उदगृहण अथवा उदगृहणीय हर्जाने को पूर्णतः माफ कर सकता है ;

(ख) अन्य मामलों में गुण दोष के आधार पर उदगृहण अथवा उदगृहणीय, हर्जाने का 50 प्रतिशत तक माफ कर सकता है ;

(ग) अति विशिष्ट मामलों में उदगृहण अथवा उदगृहणीय हर्जाने को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में माफ कर सकता है।"

भगवती प्रसाद,
बीमा आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केन्द्रीय कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 दिसम्बर 1991

सं. पी-4/1/1/87—केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा-5(घ) की उप धारा 7(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत अधी-

क्षक अभियंता के पदों पर भर्ती पद्धति के नियमन हेतु निम्न-लिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ : (1) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधीक्षक अभियंता भर्ती नियम, 1991 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **प्रयोज्यताय** :—ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पद पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और इससे संबद्ध वेतनमान, इस नियमावली के साथ अनुलग्नित अनुसूची में उल्लिखित कालम 2 से 4 के अनुसार होंगे ।

4. **भर्ती की पद्धति आयु-सीमा और अन्य योग्यता आदि** :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और कथित पद से संबंधित अन्य मामले, पूर्वोक्त अनुसूची में उल्लिखित कालम 5 से 14 के अनुसार होंगे ।।

5. **अयोग्यताएं** :—उक्त पद पर नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा :—

(क) जिसने उस व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पति/पत्नी जीवित है या

(ख) जिसने/पतिपत्नी जीवित होने पर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है ।

परन्तु केन्द्रीय बोर्ड का यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह को अन्य पक्ष पर स्वीय विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचलन से छूट दी जा सकती है ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय बोर्ड का यह मत है कि यह आवश्यक है या ऐसा करना समीचीन है तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों को श्रेणी के किसी वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में शिथिलता दे सकता है ।

7. **अपवाद** :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार यह नियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु में शिथिलता और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे।

8. **निरस्त करना** :—जी एस आर सं. 142 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3 उप खंड-3(1) में प्रकाशित, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, निर्माण अभियंता भर्ती-नियम, 1973 इन नियमों के जारी होने की तिथि से निरस्त हो जाएंगे ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-30 के अन्तर्गत सेवा के बढ़े हुए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है
1	2	3	4	5	6	7
अधीक्षक अभियन्ता (सिविल)	*(1991) *संख्या कार्यभार पर निर्भर करती है	ग्रुप "क" अलिपिक वर्गीय	3700-125-4700-150-5000/-रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें	क्या पदोन्नत किए जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और योग्यतायें लागू होंगी ।	परिवीक्षा अवधि यदि कोई है	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती या पदोन्नतियां प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं होता	भूतपूर्व सैनिक के द्वारा नियुक्ति पर दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा सशस्त्र बल श्रमिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पुनर्नियोजन पर स्थानान्तरण द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनः नियुक्ति

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से पदोन्नत/प्रतिनियुक्ति/तबादला किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या ?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है।
12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी	ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति (भूतपूर्व सैनिकों के स्थाई करने पर विचार करने के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।
(क) (1) नियमित आधार पर समान पद धारण करना, या	1. अपर सचिव, श्रम मंत्रालय—	
(2) 3000–4500 रु० या समान वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा और	अध्यक्ष 2. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त—	
(ख) निम्नलिखित योग्यतायें तथा अनुभव रखना :— अनिवार्य	सदस्य 3. समुचित हैसियत के संगठन के	
(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री।	बाहर से एक अधिकारी —सदस्य (कर्मचारी राज्य बीमा निगम से तरजीह पर)	

(11) प्लानिंग डिजाइनिंग निर्माण और सिविल अभियांत्रिकी में पर्यवेक्षक की हैसियत से 10 वर्ष का अनुभव।

सशस्त्र बल कार्मिक के लिए

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनः नियुक्ति।

मेजर और उक्त रैंक के सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवा निवृत्त होने वाले हैं या जो एक वर्ष के अन्दर स्थानान्तरित होने के लिए आरक्षित हैं और कालम 12 के अन्तर्गत प्रतिनियुक्तियों के लिए निर्धारित योग्यताएं तथा अनुभव रखते हैं, के लिए भी विचार किया जाएगा। यदि उनका चयन हो जाता है, तो उन्हें सशस्त्र बल से मुक्ति की देय तिथि तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें पुनः नियुक्ति की शर्तों पर जारी—रखा जायेगा। ऐसे पात्र अधिकारियों के सेवा निवृत्त होने या वास्तविक पद के चयन से पहले आपेक्षण के लिए स्थानान्तरित किए जाते हैं तो उनकी नियुक्ति पुनः नियुक्ति के आधार पर होगी (सिविल पदों के संदर्भ में निवर्तन की तिथि तक पुनः नियुक्ति)।

(उसी या किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के शीघ्र पहले प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें किसी अन्य बाह्य काडर पर की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल की जाएगी। यह चार वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी)

दिनांक 2 दिसम्बर 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1926—जहां मैसर्स एम. एन. दस्तूर एण्ड कम्पनी लि., पी-17, मिशनरी एक्सटेन्सन, कलकत्ता-700013 (कोड सं. डब्ल्यू बी/1138) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

और चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1970 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/पार्ट-1/3015 दिनांक 22-3-1990 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 1-1-1992 से 31-12-94 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 31-12-94 भी शामिल है।

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1932—जहां मैसर्स दी गोधामी सोलवेन्ट आयल प्रा. लि., पो. बा. नं. 7, पाईडीपरु, तनुक (कोड सं. ए. पी./5808) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अवायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या : 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/पार्ट-1/1449 दिनांक 13-2-90 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 30-4-91 से 29-4-94 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 29-4-94 भी शामिल है ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार

का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1938—जहां मैसर्स विजयाराजा एण्ड कम्पनी इन्जीनियरस एण्ड बिल्डर्स, 120 सैनगुप्ता स्ट्रीट, कोयम्बटूर-9 (कोड सं. टी. एन./11467) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कोयम्बटूर ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं। (दिनांक 1-3-91 से 28-2-94 तक)।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदत्त होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

छावनी परिषद

मोरार, दिनांक 5 दिसम्बर 1991

सं० का० नि० आ० 1/17/ सी० ए०— एम०सी० — जबकि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 328 दिनांक 19 सितम्बर, 1960 का अधिक्रमण करते हुए तथा छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छावनी परिषद, मोरार ने, उक्त अधिनियम की धारा 61 की अपेक्षानुसार, व्यापार एवं व्यवसाय पर कर लगाने की प्रस्तावित अधिसूचना प्रारूप की सूचना 26 जून, 1991 को प्रकाशित तथा इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को आपत्ति और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए सूचना प्रकाशित की गई तिथि से लेकर तीस दिन का समय भी दिया गया।

और जबकि परिषद द्वारा दिए गए निर्धारित समय के भीतर किसी प्रकार के सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः अब छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 19 सितम्बर, 1960 की भारत सरकार की अधिसूचना सख्या का० नि० आ० 328 जो 1 अक्तूबर 1960 को प्रकाशित की गई थी, का अधिक्रमण करते हुए, छावनी परिषद मोरार केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेकर अपनी सीमा के भीतर संलक्षित अनुसूची के कालम 2 में दिए गए व्यापार एवं व्यवसाय करने वाले सभी व्यक्तियों पर कालम तीन में दर्शाए गए दरों पर निर्धारित करता है। परन्तु किसी व्यवसायी/व्यापारी पर 2500/— रुपये से अधिक कर वसूल नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

क्र०	विवरण	कर की दर पूर्ण वर्ष या वर्ष के हिस्से के लिए
1	2	3
		रुपयों में
1.	विज्ञापन अभिकर्ता, कम्पनी, संस्था	500
2.	शस्त्र एवं गोला बारूद विक्रेता	250
3.	आटा, दाल, तेल मिल मालिक	250
4.	मानचित्रकार, शिल्पी, परामर्शदाता, यंत्री एवं प्रकाशक	500
5.	नीलाम कर्ता	250
6.	सैन्य सेवा कोर डबल रोटी ठेकेदार	2500
7.	" " कोयला एवं जलाऊ लकड़ी ठेकेदार	2500
8.	" " मुर्गी, अन्डा एवं मछली ठेकेदार	2500
9.	" " मांस ठेकेदार	2500
10.	सैन्य सेवा कोर सूखे फल ठेकेदार	2500
11.	" " डेयरी फार्म, घास, भूसा ठेकेदार	2500
12.	" " बर्फ ठेकेदार	2500
13.	" " दूध ठेकेदार	2500
14.	" " मृदु जल पेय ठेकेदार	2500
15.	" " आलू प्याज ठेकेदार	2500
16.	" " सब्जी ठेकेदार	2500
17.	" " चूना ठेकेदार	2500
18.	यांत्रिक कर्मशाला के मालिक	250
19.	शस्त्र मरम्मत	250
20.	स्थानीय बस सेवा	500
21.	भवन सामग्री (टिम्बर, सीमेंट, ईंटें, पत्थर, बजरी, कोयला, चूना, पत्थर, रेत, रेत और मुरम) बिक्रेता	500
22.	भवन) ठेकेदार	
	(क) 5 लाख से कम लागत का कार्य	250
	(ख) 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम लगत का कार्य	500
	(ग) 10 लाख से अधिक और 20 लाख से कम लागत का कार्य	1000
	(घ) 20 लाख से अधिक और 50 लाख से कम लागत का कार्य	2000
	(ङ) 50 लाख से अधिक लागत का कार्य	2500
23.	बेकरी पदार्थ उत्पादक एवं बिक्रेता	250
24.	साईकिल सुधारक	250
25.	साईकिल दुकान के मालिक	250
26.	बैटरी चार्जिंग कर्मशाला	250
27.	नाई	250
28.	नाई केश कर्तनालय	250
29.	लोहार, तांबा, पीतल या टिन वाला	250
30.	भूसा, घास या अन्य खाद्य बिक्रेता	250
31.	ऊनी दरी, शाल बिक्रेता	250
32.	रसायनज्ञ एवं दवा बिक्रेता	250
33.	भंडार एवं फर्नीचर ठेकेदार	500
34.	विद्युत कार्य ठेकेदार	250
35.	चीनी मिट्टी के बर्तन एवं कांच के बर्तन बिक्रेता	250
36.	बढ़ई	250
37.	बर्तन अभिकर्ता	250
38.	सी० एस०डी० कैन्टीन, यूनिट कैन्टीन	250
39.	मोटर के हिस्से पुर्जे, टायर टयूब आदि के बिक्रेता	500
40.	रेफरीजरेटर बिक्रेता	250
41.	खेल सामग्री बिक्रेता	250
42.	जिल्द साज	250
43.	साईकिल भाड़ा	250
44.	कपड़ा धुलाई रंगाई	250
45.	डेरी वाला	250
46.	जानवर, भेड़, बकरी, सूअर बेचने वाला	250
47.	रद्दी कपड़ा बोरी बेचने वाला	250
48.	मान चित्रकार	250
49.	ढाबा के मालिक	250
50.	दंत चिकित्सक	250
51.	अंग्रेजी शराब की दुकान के मालिक	1000
52.	बिजली का सामान बिक्रेता	250
53.	बिजली सुधारक की दुकान	250
54.	फैक्टरी, मिल या संस्था के मालिक	500
55.	मछली बिक्रेता	250
56.	फल एवं सब्जी बिक्रेता	250
57.	भविष्य वक्ता	250
58.	फटाके बिक्रेता	250
59.	जलाऊ लकड़ी, कोयला बिक्रेता	250
60.	विविध वस्तु बिक्रेता	250
61.	सुनार एवं सोना चांदी व्यवसाय	250
62.	कांच की चूड़ियां बिक्रेता	250
63.	कांच एवं कांच की सजावट का सामान	250
64.	अनाज व्यवसायी	250
65.	होल्टल और लॉज़ मालिक	500
66.	होटल बगैर लॉज के	500
67.	लोहे का सामान एवं रंग के बिक्रेता	250
68.	बीमा एजेन्ट एवं डाक सामग्री एजेन्ट	250
69.	मोटर कार, ट्रक, टैम्पो, स्कूटर व्यवसायी	500

1	2	3
70.	सिनेमा व्यवसायी जिससे प्रवेश शुल्क लगता है	500
71.	अभिकर्ता जिसका छावनी क्षेत्र में कार्यालय हो	250
72.	धोबी	250
73.	चिकित्सा व्यवसायी	500
74.	खनिज जल निर्माणी मालिक	500
75.	पेटी, बाल्टी, एवं अन्य टीन का सामान बनाने वाला	250
76.	मांस की दुकान का मालिक	500
77.	दूध विक्रेता	250
78.	राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था सहकारी बैंक	500
79.	समाचार पत्र विक्रेता	250
80.	उपनेत्रकार या चश्मा व्यवसायी	250
81.	वैयक्तिक वित्त कम्पनी के मालिक	500
82.	पैट्रोल पम्प या पैट्रोल, मोबिल आयल एवं उपस्नेहक व्यवसाय	500
83.	छपाई कारखाना	250
84.	पेन्टर एवं बोर्ड लेखक	250
85.	पान बीड़ी सिगरेट	250
86.	फोटो फ्रेम वाला	250
87.	प्लाई वुड विक्रेता	250
88.	तैयार कपड़े के विक्रेता	250
89.	टी०वी०, वी०सी०आर०, रेफरीजरेटर रेडियो एवं अन्य बिजली के उपकरण	250
90.	रेडियो लाऊडस्पीकर बेचने या किराए पर देने वाला	250
91.	रेजिमेंटल बनिया	250
92.	जूते की दुकान के मालिक	250
93.	मिठाई की दुकान	250
94.	जूते बनाने एवं मरम्मत वाला	250
95.	खेल सामग्री विक्रेता	250
96.	दर्जी की दुकान	250
97.	दर्जी	250
98.	धर्म संस्कारक	250
99.	पेटी, बाक्स, बाल्टी विक्रेता	250
100.	टी०वी०, वीडियो, टेप रिकार्डर, बिजली के उपकरण विक्रेता	250
101.	अलम्यूनियम के बर्तन	250
102.	वैद्य या हकीम	250
103.	होल सेल कपड़ा मर्चेन्ट	500
104.	अनाज, वनस्पति, चीनी, सिगरेट, बीड़ी के थोक व्यवसायी	500
105.	घड़ी साज	250
106.	वैल्डर	250
107.	धोबी	250
108.	कोई दूसरा व्यवसाय जो ऊपर उल्लेखित नहीं है	250

के० पी० शर्मा
छावनी अधिशासी अधिकारी मुरार

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र समिति)

मुम्बई-400009, दिनांक 26 नवम्बर 1991

सं. 80(18)/85-प्रशा.—एस. ओ. वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 23, सपठित धारा 4 की उपधारा (2) के उपखंड (सी), (डी) तथा (ई), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्र समिति, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, मिल के बने सूती वस्त्र निरीक्षण विनियम, 1966 में और संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाती है, यथा :—

1. (1) ये विनियम मिल के बने सूती वस्त्र निरीक्षण (संशोधन) विनियम, 1990 कहलाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. मिल के बने सूती वस्त्र निरीक्षण विनियम, 1966 (जिनको इसके पश्चात् उक्त विनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है), के विनियम 2 में खंड (सी), (डी) तथा (ई) के स्थान पर निम्न खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :—

(सी) मुख्य दोष से तात्पर्य—

(1) सूत दोष (यार्न डिफेक्ट्स)

(1) स्पष्टतः दिखाई देने वाले स्लब ।

(2) स्पष्टतः दिखाई देने वाले स्लबी यार्न किन्तु जो वस्त्र की लंबाई के साथ-साथ 15 सेंटीमीटर से अधिक न हो ।

(3) स्पष्टतः दिखाई देने वाले रंगीन धब्बे (फ्लेक्स) ।

(2) बुनाई दोष (ताने की दिशा में)

(1) 2 से 4 समीपवर्ती छूटे हुए सिरे या चौड़ाई के आर-पार एक स्थान पर 4 से 6 छूटे हुए सिरे, जो समीपवर्ती न हों ।

(2) 5 से 6 समीपवर्ती छूटे हुए सिरे या चौड़ाई के आर-पार एक स्थान पर 7 से 8 छूटे हुए सिरे, जो समीपवर्ती नहीं हैं तथा 15 सेंटीमीटर से आगे नहीं जा रहे हों ।

(3) स्पष्टतः दिखाई देने वाले रंगीन (चाक चिन्हों के अलावा) या तैलीय या मलिन सिरे ।

(4) फ्लोट-0.5 से 6 वर्ग सेंटीमीटर के 2 या उससे अधिक धागों के दोनों ओर ।

(3) बुनाई दोष (बाने की दिशा में) :—

(1) दरार (क्रेक)—दो या उससे अधिक छूटे हुए पूर्ण पिक्स, जो वस्त्र की लंबाई के साथ साथ 0.5 सेंटीमीटर से अधिक न हों।

(2) स्पष्टतः दिखाई देने वाले वेफ्ट बार या गलत वेफ्ट जो सूत्रांक (काउंट), बटाई (टिवस्ट), रंग, शेड में अंतर के कारण हों, या वेफ्ट यार्न के समीपवर्ती समूहों के पिक स्पेसिंग, जो, 2 सेंटीमीटर से अधिक पिक्स क्रेमिंग को छोड़कर, वस्त्र की लंबाई के 5 सेंटीमीटर से अधिक न हों ।

(3) तैलीय बाने जिनमें एक से अधिक पिक, पूर्णतः या आंशिक रूप से, तेल से अभिरंजित हैं, वस्त्र की लंबाई के साथ-साथ 5 सेंटीमीटर से अधिक न हों ।

(4) पेटी चिन्ह (बाक्स मार्क्स), जो वस्त्र की लंबाई के साथ-साथ 15 सेंटीमीटर से अधिक न हों ।

(5) स्पष्टतः दिखाई देने वाले स्लाउ आफ।

(6) स्पष्टतः दिखाई देने वाले टूटे हुए सिरे, जो गुच्छे के रूप में बुने हुए हों।

(7) टांके तथा स्नार्लस, जो वस्त्र की लंबाई के साथ-साथ 5 सेंटीमीटर से अधिक हों।

(4) विरंजन/रंजन (ब्लीचिंग/डाइंग) दोष :—

(1) स्थल दोष यथा-डाई-स्टफ के दाग, धुंधले या गहरे दाग, सफेद धब्बे, ब्लीचिंग के धब्बे, आदि, जो एक वर्ग सेंटीमीटर से अधिक व 6 वर्ग सेंटीमीटर तक के हों।

(2) रेखीय (लिनियर) दोष यथा, खंडमय (पैची), धारीदार (स्ट्रिकी), विषम रंजन, रंग रेखा (डाई बार) विषम विरंजन आदि, जो वस्त्र की लंबाई के साथ-साथ 15 सेंटीमीटर से अधिक न हों।

(5) छपाई दोष :—

(1) स्पष्टतः दिखाई देने वाले स्थल दोष (स्पाट डिफैक्टस यथा, डाई-स्टफ के दाग, गलत छपाई, छपाई का न होना, लटकते धागों के कारण उत्पन्न दोष, डाक्टर स्टेन आदि।

(2) स्पष्टतः दिखाई देने वाले रेखीय (लिनियर) दोष यथा-विषम छपाई या रंग भरण (टिनटिंग), पंक्ति-बद्ध नहीं होने से उत्पन्न दोष, डाक्टर रेखा, छपाई का न होना, स्क्रीम्प आदि, जो वस्त्र की लंबाई के साथ-साथ 15 सेंटीमीटर से अधिक न हों।

(6) पाईलिंग तथा रेपिंग दोष :—

(1) 2 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक व 8 सेंटीमीटर तक के स्थल दोष यथा, पाईल रहित स्थल, विषम या ढीले पाईल स्थल या विषम रूप से उठे हुए स्थल आदि।

(2) स्पष्टतः दिखाई देने वाले रेखीय (लिनियर) दोष यथा, विषम या ढीले पाईल्स या विषम रेपिंग या पाईलिंग/रेपिंग का न होना, जो वस्त्र की लंबाई के साथ-साथ 15 सेंटीमीटर से अधिक न हों ।

(7) (कढ़ाई दोष) एम्ब्रायडरी (डिफेक्टस)

(1) स्थल दोष यथा-कढ़ाई रहित या दोषमुक्त कढ़ाई के स्थल।

(2) रेखीय (लिनियर) दोष यथा, कढ़ाई रहित या दोष-युक्त कढ़ाई जो वस्त्र की लंबाई के साथ-साथ 15 सेंटीमीटर से अधिक न हों।

(8) विविध दोष :—

(1) स्पष्टतः दिखाई देने वाले गाउट।

(2) स्पष्टतः दिखाई देने वाले टूटे हुए पैटर्न।

(3) तेल के या अन्य दाग, जो वर्ग सेंटीमीटर से अधिक न हों या वस्त्र की लंबाई के साथ-साथ 15 सेंटी-मीटर से अधिक न हों ।

(4) छिद्र, या किसी भी दिशा में लंबाई में कट या विदार (टियर) जो 0.6 सेंटीमीटर से अधिक न हों ।

(5) स्थानीय विरूपण से उत्पन्न रिक्त स्थान जो ताने की दिशा में 0.5 सेंटीमीटर तथा बाने की दिशा में 5 सेंटीमीटर से अधिक हो ।

(6) 5 प्रतिशत से अधिक वस्त्र अथवा डिजाईन का घुमाव (बोइंग) किन्तु जो वस्त्र की लंबाई के साथ-साथ 15 सेंटीमीटर से अधिक न हों।

(7) साज-सज्जा वस्त्र (फर्निसिंग फेबिक्स) के संबंध में गौण दोषों के तहत् सूचीबद्ध किये गये बुनाई दोष के अलावा किनारे (सेल्वेज) के सभी दोष।

टिप्पणी : (ए) वस्त्र की 15 सेंटीमीटर लंबाई में पाये जाने वाले एक से अधिक मुख्य दोषों को एक मुख्य दोष ही माना जायेगा।

(बी) 15 सेंटीमीटर से अधिक लगातार लंबाई में पाये जाने वाले मुख्य दोषों को प्रत्येक 15 सेंटी-मीटर या उसके भाग के लिए एक मुख्य दोष माना जाएगा। यह, ऐसे मुख्य दोषों के लिए जिनमें रेखीय (लिनियर) परिमाण 15 सेंटीमीटर तक सीमित किया गया है, लागू नहीं होगा।

(सीए) "सामग्री" से तात्पर्य पूर्णतः सूती मूल का लगातार लंबाई में बुना हुआ वस्त्र (फेबिक), जो हथकरघे पर बुना हुआ न हो-इस बात का विचार किये बिना कि ऐसे वस्त्र पर किसी भी फाइबर से कैसा भी कढ़ाई

कार्य किया हुआ हो, किन्तु इसमें निम्न शामिल नहीं है :—

(1) ऐसी वस्तुएं, जो बिना उनकी लंबाई का विचार किये अनिवार्यतः छोटी वस्तुएं/मेडअप्स के रूप में वर्गीकृत की जाती हों।

(2) 6.5 मीटर तक के कट-लेन्थ वस्त्र (फेब्रिक्स)।

(3) संकीर्ण चौड़ाई के वस्त्र माप तथा डस्टर का कपड़ा, छाने का कपड़ा, रसायन विलेपित वस्त्र, टायर कार्ड फेब्रिक्स, मच्छरदानी स्क्वेयर मेस, बुक बाइंडिंग का कपड़ा तथा निम्न सूत्रांक (काउंट) तथा रचना का कपड़ा

सूत्रांक (काउंट) : 30 एस तथा उससे अधिक
रचना (कन्स्ट्रक्शन) : 60 या उससे कमधागे प्रति वर्ग इंच तथा अधिकतम 24 पिक्स प्रति इंच।

(4) सामग्री :—जिसे SECONDS पूर्ण रूप में तथा संक्षेप में नहीं से चिन्हित किया गया हो;

(5) नमूने का परिक्षण जो 250 मीटर से अधिक न हो तथा जिसके प्रत्येक पीस को नमूने के रूप में चिन्हित किया गया हो ।

(डीडी) गौण दोष से तात्पर्य :—

(1) मुख्य दोषों के प्रकार का कोई भी दोष, किंतु छोटे परिमाण का लेकिन दिखाई देने वाला ।

(2) बाने का विरूपण (डिस्टोरेशन आफ वेफ्ट)।

(3) कशाघात (लैशिंग-इन)।

(4) बिना काट-छांट किये ढीले धागे (अनट्रिम्ड लूज थ्रेड्स)।

(5) स्थल दोष यथा-छिद्र, कट, विदार (टियर), फ्लोट, अंदर खिचा हुआ किनारा आदि, तथा

(6) रेखीय (लिनियर) दोष यथा, बेंची किनारे, धब्बे (स्टेन्स), रंगाई, विरंजन (ब्लीचिंग) तथा छपाई के दोष ।

टिप्पणी : वस्त्र की 15 सेंटीमीटर की लंबाई में पाये जाने वाले एक से अधिक गौण दोषों की केवल एक ही गौण दोष माना जायेगा तथा ऐसे गौण दोषों की गणना वस्त्र की प्रति 15 सेंटीमीटर की लंबाई के लिए एक दोष के हिसाब से की जायेगी ।

(इ) "गंभीर" दोष से तात्पर्य :—

(1) मुख्य दोषों के प्रकार का कोई दोष किन्तु उससे अधिक परिणाम का हो,

(2) एक से अधिक दुहरा सिरा जो थान की पूरी लंबाई में व्याप्त हो,

(3) 5 से अधिक फ्लोटिंग सिरे जो 15 सेंटीमीटर से अधिक हो,

(4) वस्त्र के पोत (टेक्स्चर) को निश्चित रूप से विदारण (रपटयूअरिंग) करने वाला स्पेश,

(5) रीड चिन्ह जो थान की लंबाई के 5% से अधिक लम्बाई पर स्पष्टतः दिखाई दें।

3. उक्त विनियमों के विनियम 3 में,

(1) खण्ड (1) में, "मिल सभी गंभीर तथा मुख्य दोषों को फ्लैग करेगी" शब्दों के स्थान पर "मिल सभी मुख्य तथा गौण दोषों को फ्लैग करेगी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ,

(2) खण्ड (2) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :—

मिल का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि दो भाग या बहुविध भाग वाले थान या कम लंबाई वाले थानों की संख्या संविदा में उपबंधित मात्रा व तरीके के अनुरूप हो,

(3) खण्ड (3) में अंक "20,000" के स्थान पर अंक "25,000" प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(4) खण्ड (4) के बाद निम्न खण्ड स्थापित किए जाएंगे, यथा :—

(5) निरीक्षण हेतु प्रस्तुत लाट के सभी थानों पर विदेशी क्रेता की संविदा में दर्शाए गए तरीके तथा यूनिटों के अनुरूप लंबाई व चौड़ाई स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः चिन्हित की जाएगी,

(6) आवेदन, जिसके साथ संबद्ध दस्तावेज से संविदा की प्रति, पैकिंग सूची आदि संलग्न होंगे, निर्यातक या उसकी ओर से मिल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा । निर्यातक की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह सामान्य दिखावट हेतु विदेशी क्रेता द्वारा अनुमोदित नमूने यदि कोई हों या ऐसे अनुमोदित नमूनों के अभाव में निर्यात संविदा में उपबंधित विनिर्देशन प्रस्तुत करें,

4. उक्त विनियमों के विनियम 4 के खण्ड (ए) में "दोषों हेतु विनिर्देशन तथा मानकों के संदर्भ में" शब्दों के स्थान पर दोषों हेतु विनिर्देशनों तथा मानकों एवं सामान दिखावट के संदर्भ में शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त विनियमों के विनियम 5 में :—

(1) खण्ड (ब) में :—

(ए) उपखण्ड (2) में, "प्रथम नमूना" शब्दों के स्थान पर "प्रथम नमूना" या ऐसी मात्रा जो समेकित नमूने की 600 मीटर मात्रा से कम पड़ रही हो. दोनों में से जो भी कम हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(बी) स्पष्टीकरण 4 में "पूर्ण चौड़ाई" शब्दों के स्थान पर "पूर्ण चौड़ाई" तथा अतिरिक्त किए जाएंगे,

(2) खण्ड (सी) में :—

(ए) उपखण्ड (4) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : "(6) यदि सामान्य दिखावट में वस्त्र (फेब्रिक) के विभिन्न पहलू

जैसे यार्न की विषमता, किटोनेस, नेपीनेश, रीडीनेस, डिजाइन, सफेदी, स्पर्श (फील) या परिसज्जा (फिनिश), विदेशी क्रेता द्वारा अनुमोदित नमूने से, या ऐसे नमूने के अभाव में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत नमूने से, अनुकूल रूप से मिलान नहीं होती हो तो"

(बी) सारणी में शीर्षक "स्टेन्डर्ड-ए" के अंतर्गत स्तंभ 1 तथा 2 के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा :—

स्टेण्डर्ड—ए

प्रथम नमूने की या समेकित प्रथम तथा द्वितीय नमूनों के आधार पर स्वीकृति की सं०	प्रथम नमूने के आधार पर पूर्ण रुप से अस्वीकृति की सं०
1	2
	रुपयों में
40	53
39	52
38	51
37	40
36	49
35	48
34	47
33	46
32	45
31	44
31	43
30	42
29	41
28	40
27	39
26	38
25	37
24	36
23	35
23	34
22	33
21	32
20	31
19	30
18	29
17	28
16	27
16	26
15	25
14	24
13	23
12	22
11	21
11	20
10	19
9	17
8	16
7	15
6	14
6	13
5	12
4	11
3	10
3	8
2	7

(सी) उपखण्ड (8) के बाद, निम्न उपखण्ड अंत:स्थापित किए जाएंगे, यथा :—

(9) यदि गौण दोषों की संख्या 25 प्रति 100 मीटर से अधिक हो,

(10) यदि निरीक्षण हेतु प्रस्तुत लाट में, कम लंबाई के थान या दो भाग या बहुविध भाग थान, मात्रात्मक पहलुओं को छोड़ कर, विनियम 3 के खण्ड (2) के प्रावधान के अनुसरण में न हो तो, या लंबाई-चौड़ाई को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार चिन्हीत नहीं किया हो तो ,

(11) यदि पैकिंग विदेशी क्रेता की अपेक्षानुसार अथवा भारतीय मानक ब्यूरो/समिति द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार न हो तो ।

6. उक्त विनियमों के विनियम 6 में, "प्रति पीस वजन" शब्दों के स्थान पर "प्रति वर्गमीटर वजन" शब्द प्रति-स्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त विनियमों के विनियम 7 में :—

(ए) "निरीक्षित तथा पारित लाट को अपेक्षित मोहरें लगा कर चिन्हीत किया जाएगा तथा निर्धारित तरीके से उसे गांठों में पैक किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर शब्द "निरीक्षित तथा पारित लाट को अपेक्षित मोहरें लगा कर चिन्हीत किया जाएगा तथा उसे विदेशी क्रेता द्वारा निर्दिष्ट पैकिंग के ढंग से तथा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (63 का 1986) के प्रावधानों के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, अथवा समिति द्वारा, जैसा भी स्थिति हो, निर्धारित रीति से पैक किया जाएगा" प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(बी) जहां कहीं "गांठ" शब्द का उल्लेख है, उसके स्थान पर शब्द "पैकेज" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

आर. के. शर्मा, सचिव

पाद-टिप्पणी

मुख्य विनियम, अधिसूचना सं. एस. ओ., दिनांक 30-9-1966, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15-10-1986 के भाग-3 खण्ड 4 (पृष्ठ 831) में प्रकाशित हुई, द्वारा अधिसूचित किए गए । तत्पश्चात् निम्न द्वारा संशोधित किए गये :—

(1) अधिसूचना सं. एस. ओ. दिनांक जनवरी, 71—भारत के राजपत्र दिनांक 13-12-1971 में प्रकाशित भारत के राजपत्र दिनांक 13-2-1971 में प्रकाशित ।

(2) अधिसूचना सं. एस. ओ., दि. 6-11-1971—भारत के राजपत्र दिनांक 25-12-1971 में प्रकाशित ।

(3) अधिसूचना सं. एस. ओ., दि. 20-3-1975—भारत के राजपत्र दिनांक 10-5-1975 में प्रकाशित।

(4) अधिसूचना सं. 33(4)/77/एडी, दि. 19-12-1977 भारत के राजपत्र दिनांक 18-3-1978 में प्रकाशित ।

(5) अधिसूचना सं. एस. ओ. 4767 दिनांक 17-9-1985—भारत के राजपत्र दिनांक 12-10-1985 में प्रकाशित ।

भारतीय भेषजी परिषद

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 2 दिसम्बर 1991

फ. सं. 171/91 (भाग-1) पी. सी. आई/5352-5485—भारतीय भेषजी परिषद के 30 अगस्त 1991 को संपन्न हुए 52वें अधिवेशन में पारित निम्नलिखित संकल्पों को भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

प्रस्ताव सं० 52/पी०सी०आई०/ 748 आन्ध्र प्रदेश

"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1949 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फॉर्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फॉर्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम आंध्र प्रदेश में	निम्नलिखित सं० तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
1	2	3
डा० जाकिर हुसैन जूनियर कालेज, इब्राहिमपटनम् (जिला–कृष्णा)	20	1987–88 से 1991–92
रामकृष्ण जूनियर कालेज, मनुगोडे (जिला नालगोण्डा)	20	1991–92
श्री द्वारकानाथ जूनियर कालेज, मदनापल्ली	60	1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट एज्यूकेशन, आंध्र प्रदेश, नामपल्ली, हैदराबाद द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फॉर्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

प्रस्ताव सं० 52/पी०सी०आई/749 आंध्र प्रदेश

"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फॉर्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फॉर्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम आंध्र प्रदेश में	निम्नलिखित सं० तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
राजकीय महिला पॉली–टैक्निक, हिन्दुपुर	30	1992–93
एस०वी० राजकीय पॉली–टेक्निक, तिरुपति	30	1991–92
श्री वी०सी०एम० पॉली–टेक्निक, बडवल	30	1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्यूकेशन एण्ड ट्रेनिंग आंध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फॉर्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

प्रस्ताव सं० 52/पी०सी०आई /750 आसाम

"(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं

द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम आसाम में	निम्नलिखित सं० तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी आसाम मेडिकल कालेज डिबरूगढ़	100	1992–93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद डिबरूगढ़ विश्वविद्यालय, डिबरूगढ द्वारा उपरलिखित सत्र त. आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

गुजरात

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/751—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम गुजरात में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
श्री एम० एन० कालेज आफ फार्मेसी, कैम्बे (खम्भात)	120	1992–93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद गुजरात विश्वविद्यालय, नवरंगपुरा, अहमदाबाद द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/752—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम गुजरात में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
दयाराम पटेल फार्मेसी कालेज, बारडोली	60	1993–94

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/753—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम गुजरात में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
श्री बी० के० मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कालेज, राजकोट	60	1992–93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

कर्नाटक

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/754—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित करती है ।

संस्था का नाम कर्नाटक में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोनित
भारत एजुकेशन सोसायटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बंगलौर	60	1992–93
दयानन्द सागर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बंगलौर	60	1992–93
श्री शिवगंगा कालेज ऑफ फार्मेसी, तुमकुर	60	1991–92
अनुपमा कालेज ऑफ फार्मेसी, महालक्ष्मीपुरम्, बंगलौर	60	1992–93
एस० एफ० सी०एण्ड ई० एसोसिएशन अल–फलह–कालेज, ऑफ फार्मेसी, हुबली	60	1991–92
मिलिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बंगलौर	60	1992–93
तोगारी वीरमल्लापा मेमोरियल कालेज ऑफ फार्मेसी, बेलारी	60	1991–92
एस० सी० एस० कालेज ऑफ फार्मेसी, हरापन्नाहल्ली	100	1991–92
एन० जी० एस० एम० इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस डरलाकाटे (मंगलौर)	60	1992–93
कालेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस मनीपाल	120	1991–92
श्री रामाकृष्णा कालेज आफ फार्मेसी, चिक्कमंगलूर	40	1990–91 से 1991–92
श्री के० वी० कालेज ऑफ फार्मेसी, चिक्कबालापुर	60	1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी मार्फत ड्रग्स कन्ट्रोलर फार दी स्टेट कर्नाटक बंगलौर द्वारा उपरिलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

केरल

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/755—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम केरल में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
मनम कालेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, त्रिचुर	40	1991–92
कोटयाम् मेडिकल कालेज, कोटयाम्	30	1991–92
कालीकट मेडिकल कालेज, कालीकट	50	1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बोर्ड ऑफ डी० फार्म-एग्जामिनेशन, आफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, केरल (त्रिवेन्द्रम) द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

महाराष्ट्र

प्रस्ताव संख्या 52/पी० सी० आई०/756—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1448 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा

में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ मे अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम महाराष्ट्र में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
गवर्नमेंट कालेज ऑफ फार्मेसी, कराड	60	1991–92
शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, परभानी	30	1991–92
विद्या भारती कालेज ऑफ फार्मेसी, अमरावती	60	1991–92
अप्पा साहेब बिरनाले कालेज ऑफ फार्मेसी, सांगली	8	1985–86 में
	10	1986–87 में
	36	1987–88 में
	30	1988–89 में
	60	1989 से 1992
बी० वी० इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी एण्ड इंजीनियरिंग (पालीटेक्निक) न्यू बॉम्बे	60	1992–93
भारती विद्यापीठ पूना कालेज ऑफ फार्मेसी (पालीटेक्निक), पूना	120	1991–92
फार्मेसी कालेज, पेठाम्बे	30	1991–92
सतारा पालीटेक्निक, सतारा	60	1991–92
शाद आदम शेख पालीटेक्निक, भिवंडी	60	1988–89 से 1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन्स महाराष्ट्र, बॉम्बे द्वारा ऊपरिलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षाको, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

उड़ीसा

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/757—"(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) मे विहित प्रावधानो के अनुसरण मे भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा मे प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ मे अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम उड़ीसा में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
सिद्धेश्वर कालेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, अमरखा रोड, बालासोर	40	1992–93
गायत्री फार्मास्यूटिकल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सम्बलपुर	40	1986–87 से 1990–91
कालेज ऑफ फार्मा-स्यूटिकल साइंसेस, पुरी	40	1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद उड़ीसा स्टेट बोर्ड ऑफ फार्मेसी, न्यू नंदन कानून रोड, भुवनेश्वर द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।"

पंजाब

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०–758—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा मे प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ मे अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम पंजाब में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
इण्डो-सोवियत फ्रेंडशिप कालेज ऑफ फार्मेसी, मोगा	100	1991–92
जे० आर० गवर्नमेंट पालीटेक्निक, होशियारपुर	30	1987–88 से 1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनु-

सरण में भारतीय भेषजी परिषद डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग (टेक्निकल एजुकेशन विंग), पंजाब, चण्डीगढ़ द्वारा उपलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

तमिलनाडु

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/759—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम तमिलनाडु में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
नादर महाजन संगम फार्मेसी कालेज, माथर, तिरुवत्तर, (जिला कन्याकुमारी)	60	1992–93
के० एम० आर० कालेज आफ फार्मेसी, पेरुनदूरई (जिला पेरियार)	60	1991–92
के० एम० कालेज आफ फार्मेसी, मदुरई	100	1992–93
नेशनल कालेज आफ फार्मेसी, मद्रास	60	1989–90 से 1991–92
जे० एस० एस० कालेज आफ फार्मेसी, ऊंटकामंड	120	1992–93
कोयम्बटूर कालेज आफ फार्मेसी, इरोड	40	1991–92
डा० कार्तिकेयन कालेज आफ फार्मेसी, रायापुरम, मद्रास	60	1990–91 से 1991–92
पांडयान कालेज आफ फार्मेसी, मदुरई	60	1992–93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बोर्ड आफ एग्जामिनरस फार डिप्लोमा इन फार्मेसी, मार्फत डायरेक्टर आफ मेडिकल एजुकेशन, तमिलनाडु, मद्रास द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम, के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/760—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम तमिलनाडु में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल टैक्नोलाजी, फकल्टी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलाजी, अन्नामलाई नगर	50	1993–94

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु द्वारा उपरिलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषज्ञज के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

उत्तर प्रदेश

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/761—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम उत्तर प्रदेश	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
गवर्नमैंट पालिटेक्निक, द्वारहट (जिला अल्मोड़ा)	30	1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बोर्ड आफ टैक्निकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपरिलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

आंध्र प्रदेश

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/762—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषज परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम आंध्र प्रदेश में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
यूनिवर्सिटी कालेज आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस वारंगल	30	1992–93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद काकातिया विश्व-विद्यालय, वारंगल द्वारा उपरिलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

बिहार

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/763—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम बिहार में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
मुजफ्फर पुर इंस्ट्रीट्यूट आफ टैक्नोलाजी मुजफ्फरपुर	15	1992–93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार द्वारा उपरिलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

गोवा

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/764—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम, का डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है।

संस्था का नाम गोवा में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
गोआ कालेज आफ फार्मेसी, पानाजी (गोवा)	30	1993–94

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद गोवा विश्व-विद्यालय, पानाजी, गोवा द्वारा उपरिलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

कर्नाटक

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/765—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम कर्नाटक में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
गवर्नमेंट कालेज ऑफ फार्मेसी, लाल बाग रोड, बंगलौर	60	1993–94

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित

प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषज के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

कर्नाटक

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/766—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम कर्नाटक में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
एस० सी० एस० कालेज आफ फार्मेसी, हरपनाहल्ली	60	1992-93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

कर्नाटक

प्रस्ताव संख्या 52/पी० सी० आई०/767—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम कर्नाटक में	निम्नलिखित संख्यातक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
के० एल० ई० सोसाइटी कालेज आफ फार्मेसी (जे० एन० मेडिकल कालेज कम्पैस), बेलगांम	30	1992-93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद कर्नाटक विश्वपवद्यालय, धारवार द्वारा ऊपरिलिखित सत्र तक आयोजित, फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

केरल

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/768—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजना के लिए उनके सामने अंकित संख्या सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम केरल में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
कालेज आफ फार्मास्यूटिकल साइंसें, मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम	30	1993-94

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

महाराष्ट्र

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/769—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम महाराष्ट्र में	निम्नलिखित संस्था तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
पूना कालेज आफ फार्मेसी, पूना	60	1992–93
कालेज आफ फार्मेसी, नासिक	60	1992–93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद पूना विश्वविद्यालय, पूना द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

महाराष्ट्र

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/770—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम महाराष्ट्र में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
1	2	3
नागपुर कालेज आफ फार्मेसी अवे लेआउट नागपुर	60	1985–86 से 1991–92
डिपार्टमेंट आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर	30	1992–93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

महाराष्ट्र

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/771—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए, उनके सामने अंकित संख्या एवं के संदर्भ सत्र तक में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम महाराष्ट्र में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
सी० यू० शाह कालेज आफ फार्मेसी, बाम्बे	30	1992–93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद एस० एन० डी० टी० वोमन यूनिवर्सिटी, बाम्बे द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

राजस्थान

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/772—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थानों

द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम राजस्थान में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
भूपाल नोबल्स कालेज, उदयपुर	40	1986–87 से 1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ऊपरिलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

तमिलनाडु

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/773—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम तमिलनाडु में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
के० एम० कालेज ऑफ फार्मेसी, मदुरई	50	1995–86 से 1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद मदुरई कामराज विश्वविद्यालय पलकालई नगर, मदुरई द्वारा ऊपर लिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

तमिलनाडु

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/774—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम तमिलनाडु में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
सी० एल० बेद मेहता कालेज, ऑफ फार्मेसी, ज्योति नगर, मद्रास	15	1991–92
जे० के० के० नटराजा कालेज ऑफ फार्मेसी, कोमारापलयम	40	1985–86 से 1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

तमिलनाडु

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/775—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम तमिलनाडु में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
जे० एस० एस० कालेज ऑफ फार्मेसी, ऊटकामण्ड	50	1991–92

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप–धारा (2) में विहित

प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद भारतीयार विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

उत्तर प्रदेश

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/776—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम उत्तर प्रदेश में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
डिपार्टमैंट ऑफ फार्मा-स्यूटिक्स, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी	25	1993-94

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसी द्वारा ऊपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्जित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

दिल्ली

प्रस्ताव सं० 52/पी० सी० आई०/777—"(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम दिल्ली में	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
फकल्टी ऑफ फार्मेसी जामिया हमदर्द (पहले-हमदर्द कालेज ऑफ फार्मेसी) नई दिल्ली	30	1992-93

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उप-धारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद दिल्ली, विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा ऊपरलिखित सत्र द्वारा आयोजित फार्मेसी में, डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम, के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ, अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।"

शुद्धिपत्र

फाईल सं० 17-1/91/पी० सी० आई०—भारत के राज-पत्र सं० 2 भाग-III, खण्ड-4, दिनांक 16-3-91 में प्रकाशित भारतीय भेषजी परिषद के 51 वें (पृष्ठ सं० 549-555) अधिवेशन में पारित अधिसूचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

(1) प्रस्ताव संख्या 51/पी० सी० आई०/733 (पृष्ठ 550)

(1) की प्रथम सारणी के सातवें नाम

के स्थान पर	पढ़ें
वी० एस० कालेज आफ फार्मेसी, रायचूर	वी० एल० कालेज आफ फार्मेसी, रायचूर

(2) आठवें नाम (एस० सी० एस० कालेज आफ फार्मेसी, हरापन्नाहली, पृष्ठ संख्या 550) के तीसरे खाने में

के स्थान पर	पढ़ें
1988-90	1989-90

(3) सोलवें नाम [रूरल कालेज आफ फार्मेसी, देवनाहल्ली (जिला बंगलौर) पृष्ठ संख्या 551] के तीसरे खाने में-

के स्थान पर	पढ़ें
1988-90 से 1991-92	1988-89 से 1991-92

(2) प्रस्ताव सं० 51/पी० सी० आई०/735, पृष्ठ संख्या 551

(1) की प्रथम सारणी में, सातवें नाम

के स्थान पर	पढ़े
इंस्टिट्यूट आफ फार्मेसी आमगांव (जिला भटिंडा)	इस्टिट्यूट आफ फार्मेसी आमगांव (जिला भण्डारा)

(2) की प्रथम सारणी मे, आठवे नाम

के स्थान पर	पढ़ें
(क) अप्पासाहेब जिरनैल कालेज आफ फार्मेसा, सांगली	आप्पासाहेब बिरनैल कालेज आफ फार्मेसी, सांगली

(ख) आठवे नाम के सामने तीसरी सारणी मे

के स्थान पर	पढ़े
1988–89	1988–89 से
1990–91	1990–91

3. प्रस्ताव संख्या 51/पी० सी०आई०/738(पृष्ठ 552)

(1) की प्रथम सारणी के चौथे नाम में

के स्थान पर	पढ़ें
लोंगोवाल कालेज आफ फार्मेसी डेराबस्सी (जिला पटियाला)	लोंगोवाल कालेज आफ फार्मेसी डेराबस्सी (जिला पटियाला)

(2) के दूसरे पैरा का, तीसरी पंक्ति में

के स्थान पर	पढ़े
एजुकेशन एण्ड इण्डस्ट्रियल (टेक्निकल)	ऐजुकेशन एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग (टेक्निकल)

4. प्रस्ताव सं० 50/पी० सी० आई०/723 (पृष्ठ संख्या 554) की दूसरी लाईन मे

के स्थान पर	पढ़ें
धारा 14	धारा 13

दिवेन्द्र क० जैन,
सचिव-कम-रजिस्ट्रार

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 28th November 1991

No. 19/1991.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India, nominated Shri K. Joseph Mathew, "Marykmoll", Kayyalackakom House, Kowdiar, Trivandrum-3, as Director on the Board of Directors of State Bank of Travancore for a period of three years with effect from 29th November 1991 to 28th November 1994 (both days inclusive) in place of Shri N. S. Srinivasan.

Sd./- ILLEGIBLE
Chairman

Bombay, the 31st October 1991

No. 10/1991.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of State Bank of Hyderabad, the State Bank of India has approved the undernoted revised regulations of State Bank of Hyderabad (Payment of Gratuity to Employees) Trust :—

1. Short Title and Commencement :

(a) These Regulations may be called the State Bank of Hyderabad (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1960.

(b) They shall be deemed to have come into force on the 1st October, 1959.

2. Definitions :

In these regulations, unless the context otherwise requires :

(a) "Bank" means the State Bank of Hyderabad.

(b) "Board" means the Board of Directors of the Bank.

(c) Employee means any employee who is in the permanent service of the Bank as on 1st October 1959 but is not a member of the State Bank of Hyderabad Employees Pension Fund, or any permanent employee of the Bank appointed on or after the 1st October 1959 and includes an employee appointed on probation or on temporary basis on or after that date to a post in which, if confirmed, he will become a permanent employee.

(d) 'Service in Bank' shall for the purpose of these Sub-Regulations means continuous service and shall include the period of the employee's probationary or temporary service immediately preceding his confirmation in the Bank.

(e) 'Pay' means the average of the Basic Pay and Special Allowance and Officiating Allowance payable during the 12th months next preceding death, disability, retirement, resignation or termination of service as the case may be or any other emoluments which may be specially classed as "Pay" by the Board. Provided, however, that in the case of an employee governed by the State Bank of Hyderabad (Officers') Service Regulations, 1979, pay will mean Basic Pay last drawn by him as on the date of retirement, death, disablement or resignation or termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

(f) "The Gratuity Fund" means the Gratuity Fund as defined in the Gratuity Trust Deed dated the 17th November 1975.

(g) "Trustees" means the persons in whom the Gratuity Fund vests in terms of Regulation 3.

3. Trustees means the members of the Board of Directors of the Bank for the time being in whom the Gratuity Fund vests in their capacity as the Trustees of "The Gratuity Fund"; the Trustees shall be resident in India and on his/her leaving India permanently such a Trustee shall vacate his/her office. The Managing Director shall be the Executive Trustee and shall have the power to carry on the day-to-day administration of the Gratuity Fund.

Explanation : For the purpose of this Regulation the expression "Managing Director" shall mean the Managing Director for the time being of the Bank and also include an

officiating or acting Managing Director or such other person who performs the duties of the Managing Director of the Bank. An officer of the bank specified in this behalf by the Executive Trustee shall ex-officio be the Secretary of the Fund.

4. Meeting of the Trustees :

(i) At every meeting of the Trustees the Chairman of the State Bank of India, and in his absence such one of the directors of the Bank as may generally or in relation to any particular meeting be authorised by the Chairman in writing in this behalf, and in the absence of the Chairman and failing such authorisation any Trustee elected by the Trustees present from among themselves shall be the Chairman of the meeting. The presence of atleast three Trustees of whom one shall be the Executive Trustee shall form a quorum for transaction of business. Questions arising at the meeting shall be decided by a majority of votes and in case of equality the person presiding at the meeting shall have a casting vote.

(ii) A resolution of the Trustees passed by circulation and signed by the majority of Trustees shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Trustees duly called and constituted. The date of the resolution shall be the date on which the last Trustee puts his signature on the resolution.

(iii) The Trustees may from time to time by resolution or resolutions under their signature authorise any one or more of them to sign and endorse for transfer or for conversion or for payment,, Government Promissory Note, Securities issued by the Govt. of India, State Governments and all other Securities held by the Trustees or to sign or endorse cheques, drafts, interest warrants and receipts for interest.

5. Statement of Accounts :

The accounts of the Gratuity Fund shall be made yearly as at the 31st March and an audited statement of affairs as at that date shall be submitted to a meeting to be held not later than the 31st July in every year.

6. Bank not to have interest in Fund Moneys.

No money of the Gratuity Fund shall be receivable by the Bank under any circumstances nor shall the Bank have any lien or charge on the Gratuity Fund.

7. Investment of Funds :

All monies of the Fund may be deposited in the Bank in Current Account styled "State Bank of Hyderabad (Payment of Gratuity to Employees) Trust" and to the extent that such monies are not so deposited shall be invested by the Trustees in any securities for the time being notified by the Govt. of India in accordance with Rule 101 of the Income Tax Rules 1962 or any Statutory modifications thereof for the time being in force, in such a manner that the monies so invested are payable in respect of Capital and interest in India.

8. Admission of Directors to the Fund :

A Director of the Bank may be admitted to the BENEFITS of the Fund only if he is a whole time bonafide employee of the Bank and does not beneficially own shares in the Bank carrying more than 5% of the total voting power.

9. Bank's Contribution :

The ordinary annual contribution by the Bank to the Fund shall be made on a reasonable basis having regard to the length of service of the each employee concerned so, however, that such contribution shall not exceed 8 1/3% of the salary of each employee during each year. Further, after a period of three years or earlier the Trustees shall take a review of the position and after the liability as on the date and the amount of contribution already made and income approved to the Fund are determined by scientific Actuarial Valuation, the Bank may contribute to the Fund the difference of Gratuity liability on that day, provided that under no circumstances shall the contribution exceed 8 1/3% of salary of each employee.

10. Expenses :

All necessary expenses of management and other costs charges and expenses to which the trustees may be put in connection with the Gratuity Fund for any reason whatsoever shall be borne by the Bank.

11. Payment of the Gratuity to be made out of the Fund :

Any Gratuity granted by the Bank to an employee or in the event of his death before receipt of Gratuity to any other person or persons under the provisions of these Regulations shall be paid only in India to the employee or such other person or persons by the Trustees out of the Gratuity Fund.

12. Conditions of Grant :

The Gratuity will be granted to an employee subject to the terms, conditions and other provisions contained in these Regulations but nothing in these Regulations shall be construed as conferring any right or benefit on any employee whose service in the Bank is governed by a contract expressly stipulating his service to be for a specified period unless otherwise provided in such contract.

13 (i) When admissible :

Gratuity will be granted to or in the case of employee if :

(i) he deis while in service of the Bank; or

(ii) he becomes physically or mentally incapable of further service; or

(iii) he retires from the service after attaining the age of superannuation; or

(iv) he retires from the service with the permission of the Bank before attaining age of superannuation; or

(v) who being entitled to payment of gratuity both

(a) under the provisions of these Regulations as also under the Payment of Gratuity Act 1972, resigns from the service of the Bank after 5 years of completed service.

(b) who being entitled to the payment of gratuity under the provisions of these Regulations only but not under the payment of Gratuity Act 1972 resigns from the service of the Bank after 10 years of completed service;

Subject to the provisions hereunder :

(vi) his service in the Bank is terminated by the Bank for reasons other than dismissal for misconduct,

(a) No Gratuity shall be payable in case of termination of the service by way of dismissal for misconduct of an employee otherwise entitled for the payment of gratuity under the Provisions of these Regulations only but not under the Payment of Gratuity Act 1972.

(b) No Gratuity shall be payable in case of employee entitled otherwise to the payment of Gratuity both under the provisions of these regulations as also under the provisions of the Payment of Gratuity Act 1972 if the services of such employee have been terminated.

(i) For his riotous or disorderly conduct or any other act of violence on his part; **or**

(ii) For any act which constitute an offence involving moral turpitude provided that such offence is committed by him in the course of his employment.

(vii) Provided however that notwithstanding anything contained herein above Gratuity will be granted to or in respect of an employee governed by State

Bank of Hyderabad (Officers') Service Regulations 1979 on

(a) retirement.

(b) death.

(c) disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical officer approved by the Bank.

(d) resignation after completion of ten years of continuous service.

(e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of ten years of service.

13 (2) While determining the payment of Gratuity payable to an employee the Bank may;

(i) In the case of an employee entitled to the payment of gratuity under the provisions of these Regulations only, take into account any financial loss caused to the Bank by reason of inefficiency or misconduct of such employee, and grant a reduced amount of gratuity.

(ii) In the case of an employee entitled to the payment of gratuity whether under these Regulations as also under the provisions of the Gratuity Act, 1972 :

(a) Take into account any financial loss caused to the Bank, prior to the coming into force of the Payment of Gratuity Act 1972 by reasons of inefficiency or misconduct of such employee even though his services have not been terminated for such misconduct and grant a reduced amount of gratuity.

(b) Forfeit to the extent of the loss or damage caused to the Bank if the services of such employee have been terminated for any act of wilful omission, negligence causing any damage or loss to or destruction of property belonging to the Bank.

14. Amount Admissible :

Without prejudice to the provisions of Regulation 13, the amount of gratuity admissible to an employee shall be :

(a) A sum equal to one month's pay for each completed year of service in the Bank subject to a maximum of 15 months' pay; and

(b) An additional sum equal to half month's pay in respect of each completed year of service in the Bank in excess of 30 years.

(c) Service rendered beyond the completed years of service shall also be reckoned for gratuity purpose if it is 6 months and more but less than one year for the purpose referred to in sub-paragraphs (a) and (b) above.

Provided that, if the amount of gratuity payable to an employee in accordance with the provisions of the Payment of Gratuity Act 1972 or any statutory modification thereof for the time being in force is higher than the amount of gratuity admissible to an employee determined in pursuance of clauses (a), (b) & (c) herein above, the employee shall be entitled to be paid such higher amount payable to him in accordance with the provisions of payment of Gratuity Act.

15. Nominations :

(i) An employee may be allowed by the Trustees of the Gratuity Fund to make a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount of gratuity in the event of his death before that amount becomes payable or having bcome payable has not been paid. Such a nomination shall be made in Form 'F' in the schedule hereto or in a form as near thereto as may be necessary.

(ii) If any employee nominates more than one person under aforesaid clause, he/she shall in his/her nomination specify the amounts or share payable to each of the nominee in such a manner as to cover the whole of the amount of the gratuity that may be payable in the event of his death.

(iii) Where an employee has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to his family. Any nomination made by such employee in favour of a person not belonging to his family shall be invalid.

(iv) If at the time of making a nomination the employee has no family, the nomination may be in favour of any person or persons but if the employee subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and the employee may be allowed to make a fresh nomination in favour of the one or more persons belonging to his family.

(v) A nomination made by an employee may at any time be modified by him after giving a written notice to the Trustees of his intention of doing so in form 'B' of the Schedule hereto or a form as near thereto as may be necessary.

(vi) If the nominee predeceases the employee, the interest of the nominee shall revert to the employee who may thereupon make a fresh nomination in respect of such interest.

(vii) A nomination or its modifications shall take effect to the extent it is valid on the date on which it is received by the Trustees.

"Family" in relation to an employee shall be deemed to consist of :

(a) In the case of a male employee, himself, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and the widow and children of his predeceased son, if any.

(b) In the case of female employee, herself, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents and the dependent parents of her husband and the widow and children of her predeceased son, if any.

Provided that if a female employee, by a notice in writing to the controlling authority expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband and his dependent parents shall no longer be deemed, for the purpose of this Act to be included in the family of such female employee unless the said notice is subsequently withdrawn by such female employee.

Explanation : Where the personal law of an employee permits the adoption by him of a child, any child lawfully adopted by him shall be deemed to be included in his family and where a child of an employee has been adopted by another person and such adoption is under the personal law of the person making such adoption, lawful, such child shall be deemed to be excluded from the family of the employee.

16. Payment in case of the death of the employee :

In the event of death of an employee before receipt of the gratuity, the amount of gratuity admissible shall be paid to his nominee(s) if he has made a valid nomination in accordance with Regulation 15 hereof, or failing such nomination, to his/her heirs and on such proof and upon such terms as to indemnify or otherwise as the Trustees may consider fit or necessary.

17. Liability for Tax :

Income Tax and Super Tax, if any, payable on the amount of gratuity granted to an employee will be borne by the Bank.

18. Additions and Alterations to the Regulations :

Subject to the approval of the Commissioner of Income Tax, the Trustees may alter, cancel, vary or add to any of the provisions of these Regulations so that no such alterations, cancellations, variations or additions shall be inconsistent with the main object of the scheme and the Income Tax Rules 1962 for the time being.

19. Winding up of the employer :

When the employer (Bank) is to be wound up or discontinued the trustees shall, on notice of such proposed winding up or discontinuance being received from the employer or on the order of winding up being made, close the Fund from the date of receipt of such notice or winding up order and with prior approval of and subject to such conditions as may be imposed by the Commissioner of Income Tax, make satisfactory arrangements for the payment of gratuity to the existing beneficiaries on the basis of, as if the employment had been terminated by the Bank on the date of the receipt of the notice or the winding up order as the case may be.

20. Interpretations :

The decision of the Trustees shall be final and binding upon the employees in all respect and upon all matters, questions disputes relating to or connected with the interpretation of these Regulations or with the Gratuity Fund and administration thereof.

By the Orders of the Central Board

Sd./- ILLEGIBLE
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700071, the 24th November 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/8/3/91-92—In pursuance of Regulation 10(i)(iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled as they do not desire to hold the same.

Sl.No.	M.No.	Name & Address	Date of Cancellation
1.	10801	Shri Bhikham Chand Lamboria, FCA P-14, New C.I.T. Road, 3rd floor Calcutta-700073.	29-7-91
2.	52108	Shri Sanjay V. Shah, ACA 85, Chowringhee Road, 2nd floor, Flat No. 6, Calcutta-700020.	17-9-91
3.	54149	Shri Shree Mohan Kothari, ACA 49/43, Rabindra Sarani, Rishra-712248.	20-7-91
4.	54949	Mrs. Varsha Uday Mahajan, ACA E/175, Sector-4, Rourkela-769002.	3-4-91
5.	55397	Shri Anil Kr. Gupta, ACA 11/A, Earle Street, 1st floor, Calcutta-700026.	2-7-91
6.	53540	Shri Bhaskar Roy, ACA Manager-Finance & Accounts, U. P. Straw & Agro Products, P. O. : Aghwanpur-241502. Dt. : Moradabad.	29-6-91

A. K. MAJUMDAR,
Secretary

Kanpur-208001, the 21st October 1991

No. 3-CCA(5)/6/91-92—With reference to this Institute's Notification Nos. 3-CCA(4) (7)/86-87 dt. 20-2-87, 3-CCA(4) (7)/90-9 1dt. 30-11-90 & 3-CCA(4) (9)/90-91 dt. 31-12-90, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Reg. 19 of the said Regulations, the council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the register of members, the names of the following members with effect from the dates mentioned, against their names.

S.No.	M.No.	Name & Address	Date
1.	15831	Mr. Dali Chand Jain, FCA Senior President, Modern Threads (I) Ltd., Village RAILA, Dist. Bhilwara.	27-5-91
2.	50739	Mr. Rabindra Nath Ghosh, ACA, NH-3/C-17, VSTPP PTS, Vindhyanagar, Dist. Sidhi-486885 (MP).	26-9-91
3.	70583	Mr. Ajay Kumar Mehrotra, FCA, 1/1, B.D.A, Shopping Complex, Pilibhit Road, Bareilly.	25-6-91
4.	72880	Mr. Sanjeev Kumar Agrawal, ACA, 120/417, Lajpatnagar, Kanpur.	8-9-91
5.	73542	Mr. Dinesh Singh, ACA, L-4-D, University Campus, Jaipur--4.	30-8-91
6.	80192	Mr. Ashok Chander Tyagi, ACA, A-31, Suryanagar, Ghaziabad.	25-7-91
7.	88695	Mr. Kailash Chand Goduka, ACA, E-44, Sector-6, Noida-201301.	1-10-90

No. 3CCA(8)(2)/91-92—In pursuance of Regulation 10(8) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 itis hereby Notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been Cancelled with effect from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold the same.

S.No.	M.No.	Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	12138	Mr. Aditya Naraein Shukla, FCA 915, Carrigan Place, WINNIPEG R-3 T-4 P-9 Canada.	1-4-91
2.	15037	Mr. Om Prakash Shukla, FCA, 2/235, Vikas Khand, Gomati Nagar, Lucknow.	15-6-91
3	70021	Mr. Nav Ratan Mandhana, FCA Mandhana Bhawan, Chopsani Road, Jodhpur-342003.	5-5-91
4.	70114	Mr. Dilip Bhargava, FCA 3/11, Vishnu Puri, Kanpur : 208002.	22-4-91
5.	70702	Mr. Umesh Chandra FCA R-10/61, New Raj Nagar, Ghaziabad.	1-7-91
6.	71726	Mr. Vijay Kumar Thukral, FCA 127/1/70, W-1, Block, Opp. Paryag milk Dairy Colony, Saket Nagar, Kanpur-208014.	6-6-91
7.	71870	Mr. Sunder Lal Maloo, ACA, 506-A, Ashiana Plaza, Budhmarg, Patna : 800001.	25--7-91

1	2	3	4
8.	72307	Mr. Vijay Kumar, FCA, UPFC, Regional Office, B-10, Avas Vikas Colony, Saharanpur.	24-7-91
9.	73576	Mr Om Prakash Gupta, ACA, 20, Gulmarg Complex, Near Sapna Sangita Talkies, Indore-452001.	17-6-91
10.	74200	Mr. Duli Chand Kabra, ACA, BH 67, HINDALCO Colony, Sonebhadra-Renukoot-231317.	1-4-91
11.	74268	Mr. Kailash Jain, ACA C/o. M/s Jagdish & Co., Pratap Chowk, Baran-325205 (Raj.).	20-6-91

A. K. MAJUMDAR, Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 6th December 1991

No. N-12/13/2/91-P&D.—In exercise of the powers conferred by section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following Regulations to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950, the same having been the previously published in the Gazette of India (Part-III, Section 4) dated 22nd June, 1991 inviting suggestions/objections, if any, as required by sub-section (1) of the said section, namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Employees' State Insurance (General) (Third Amendment) Regulations, 1991.

(ii) These shall come into force w.e.f 1st day of January, 1992.

2. The following new Regulation 31-C shall be inserted after Regulation 31-B of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 :

"31-*C Damages on contributions or any other amount due, but not paid in time*

An employer who fails to pay contributions within the periods specified under Regulation 31, or any other amount payable under the Act, shall be liable to pay damages as under :—

Period of delay	Rate of damages in % per annum of the amount due
(i) Upto 2 months	5%
(ii) 2 months and above but less than 4 months	10%
(iii) 4 months and above but less than 6 months	15%
(iv) 6 months and above . . .	25%

Provided that the Corporation, in relation to a factory or establishment which is declared as Sick Industrial Company and in respect of which a rehabilitation scheme has been sanctioned by the Board for Industrial and Financial Reconstruction, may :—

(a) in case of a change of management including transfer of undertaking(s) to Workers' Co-operative or in case of merger or amalgamation of Sick Industrial Company with a healthy company, completely waive the damages levied or leviable;

(b) in other cases, depending on its merit, waive upto 50% damages levied or leviable;

(c) in exceptional hard cases, waive either totally or partially the damages levied or leviable"

BHAGWATI PRASAD,
Insurance Commissioner.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

CENTRAL OFFICE

New Delhi-110 001, the 1991

No. P. IV/1(1)/87.—In exercise of the powers conferred by sub-section 7(a) of section 5(D) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Superintending Engineer under the Employees' Provident Fund Organisation, namely :—

1. *Short title and commencement* :—(1) These rules may be called Employees' Provident Fund Organisation, Superintending Engineer Recruitment Rules, 1991.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. *Application*.—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. *Number of posts, classification and scale of pay*.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the aforesaid Schedule.

4. *Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.*—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule.

5. *Disqualification*.—No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Board may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. *Power to relax.*—Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. *Saving.*—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in this regard

8 *Repeal.*—The Employees' Provident Fund Organisation, Construction Engineer Recruitment Rules, 1973 published in Part-II, Section-3, sub-section(i) of the Gazette of India dated 10-2-73 vide G.S.R. No. 142 stands repealed from the date of issue of these rules.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification.	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post.	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Superintending Engineer (Civil)	*1 (1991)	Group 'A' Non-Ministerial	Rs. 3700-125-4700-150-5000.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable	2 years for Ex-serviceman re-employed.	By transfer on deputation. **For Armed Forces Personnel** Transfer on deputation/ Re-employment (for ex-serviceman).	**Transfer on deputation** Officers under the Central Government:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and (b) possessing the following qualifications and experience:—

	If a DPC exists, what is its composition,	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
Essential (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) 10 years' professional experience in Supervisory capacity in planning, designing, construction and maintenance of civil engineering works. **For Armed Forces Personnel Transfer on deputation/Re-employment (For Ex-serviceman)** Armed Forces personnel of the rank of major and above who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience prescribed for deputationists under column 12 shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Govt. shall not exceed 4 years).	**Group 'A' DPC** (For considering confirmation of ex-serviceman) 1. Additional Secretary, Ministry of Labour. . Chairman 2. Central Provident Fund Commissioner . . . Member 3. One Officer of appropriate status from outside the Organisation (Preferably from E.S.I.C.) . . . Member	Consultation with the UPSC necessary

New Delhi-110 001, the 2nd December 1991

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt/1926. WHEREAS M/s M. N. Dastur and Company Ltd. (WB/11138) P-17, Mission Row Extension Calcutta-700013 have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C notification No. 2/1959/DLI/Exam/89/Pt : 3015 dated 22-3-90 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 1-1-92 to 31-12-94 upto and inclusive of the 31-12-94.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt/1932.—WHEREAS M/s Gowthami Solvent Oils (P)Ltd., P.B. No. 7, Pydiparru, Tanuku-534211 (AP/5808) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1449 dated 13-2-90 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 30-4-91 to 29-4-94 upto and inclusive of the 29-4-94.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims, complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt./1938.—WHEREAS M/s. Vijayaraja & Co. Engineers & Builders, 120 Sengupta Street, Coimbatore-9 (TN/11467) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Coimbatore from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-91 to 28-2-94.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

CANTONMENT BOARD

Morar, the 5th December 1991

S.R.O. No. 1/17/CA-MC.—Whereas a notice of a draft notification relating to the imposition of Trade and Profession tax which, the Cantonment Board, Morar proposes to impose in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the notification of the Government of India number SRO 328 dated the 19th September 1960, was published on the 26th June 1991 as required by section 61 of the said Act, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas no objection or suggestion was received by the Board within the stipulated time.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the notification of the Government of India number SRO 328 dated the 19th September 1960, published on the 1st October 1960, the Cantonment Board, Morar, with the previous sanction o fthe Central Government, hereby impose a tax on all persons, carrying on within the limits of Morar Cantonment, a Profession, Trade or calling enumerated in column 2 of the schedule annexed hereto at the rate specified against each in column 3 thereof;

Provided that the said trade and profession tax shall not exceed Rs. 2500/-.

SCHEDULE

Sl. No.	Description	Rate of tax per year or part of a year unless otherwise indicated.
(1)	(2)	(3)
		Rupees
1.	Advertising Agent, Company, Firm	500.00
2.	Arms, and ammunition dealers	250.00
3.	Atta, Flour Mill, Dal Mill, Oil Mill Owners	250.00
4.	Architects, Designer, Consultants, Engineer and Publishers	500.00
5.	Auctioner	250.00
6.	A.S.C. Contractor for bread	2500.00
7.	A.S.C. Contractor for Charcoal, Fuel Wood	2500.00
8.	A.S.C. Contractor for chicken, eggs or fish	2500.00
9.	A.S.C. Contractor for Mutton	2500.00
10.	A.S.C. Contractor for fruit, dry or fresh	2500.00
11.	A.S.C. or Dairy Farm Contractor for Grass, Fodder or Bhussa	2500.00
12.	A.S.C. Contractor for ice	2500.00
13.	A.S.C. Contractor for milk	2500.00
14.	A.S.C. Contractor for mineral water and soft drinks	2500.00
15.	A.S.C. Contractor Onions Potatoes	2500.00
16.	A.S.C. Contractor for vegetables	2500.00
17.	A.S.C. Contractor for quick lime	2500.00
18.	Automobile workshop owner	250.00
19.	Arms Repairs	250.00
20.	Bus Service Local	500.00
21.	Building material (timber, cement, brick, stones, bajri, coal, lime stone, grint sand and murram)	500 00
22.	Building Contractors, Works Under Taken Costing :	
	(a) Less than Rs. 5 lakh	250.00
	(b) More than Rs. 5 lakh but less than Rs. 10 lakh	500.00
	(c) More than Rs. 10 lakh but less than Rs. 20 lakh	1000.00
	(d) More than Rs. 20 lakh but less than Rs. 50 lakh	2000.00
	(e) More than Rs. 50 lakh	2500.00
23.	Bakery products manufacturers and seller	250.00
24.	Bicycle repairers	250.00
25.	Bicycle shop owners	250.00
26.	Bicycle hire	250.00
27.	Battery charging shoping	250.00
28.	Barbar	250.00
29.	Barbar Saloon	250.00
30.	Black-smith, Copper, Brass or Tin-smith	250.00
31.	Book Binder	250.00
32.	Bhoosa, Grass or any other fodder seller	250.00
33.	Carpet, Pure or Shawls seller	250.00
34.	Chemist and Druggest	250.00
35.	Contractor for supply of Furniture or stores	500.00
36.	Contractor for Electrical work	250.00
37.	Crockery, Cutlery or Glass ware seller	250.00
38.	Carpenter	250.00
39.	Commission Agent	250.00
40.	CSD Canteens, Unit Canteens	250.00
41.	Dealer or Motor Parts, Tyres Tubes etc.	500.00
42.	Dealers in Refrigerator	250.00
43.	Dealers in Sports Goods	250.00
44.	Dyres, Dry Cleaners	250.00
45.	Dairy Keeping	250.00
46.	Dealers in cattle, pigs, goats, or sheep	250.00
47.	Dealer on Cotton or Gunny or Waste materials	250.00
48.	Draftsman, Tracers	250.00
49.	Dhabas owners	250.00
50.	Dentists	250.00
51.	English Wine Shop owners	1000.00
52.	Electrical Goods and Fittings	250.00
53.	Dealers in Electrician shop	250.00
54.	Factory, Mill or Firm owners	250.00
55.	Fish stall owners	250.00
56.	Fruit and vegetable seller	250.00
57.	Fortune teller	250.00
58.	Fire work seller	250.00
59.	Fuel wood, charcoal, coke of coal seller	250.00
60.	General merchant	250.00
61.	Gold-smith, Saraf, Silver-smith	250.00
62.	Glass Bangles sellers	250.00
63.	Glass sheets, decorative glass items	250.00
64.	Grains dealers	250.00
65.	Hotel and lodging owners	500.00
66.	Hotel without lodging	500.00
67.	Dealer in Hardware or paints	250.00
68.	Insurance agent, Postal agent	250.00
69.	Dealer of motor cars, Tucks, Tampo and Scooters	500.00
70.	Keeper of cinema for which admission is charged	500.00
71.	Legal practitioner having Office/Chamber in Cantonment area	250.00
72.	Launderer	250.00
73.	Medical Practitioner	500.00
74.	Mineral Water Factory owner	500.00
75.	Maker of Trunks, Buckets and other tin stuff	250.00
76.	Mutton shop keeper	500.00
77.	Milk seller	250.00
78.	Nationalised Banks, Bankers or Financiers, Co-operative Banks	500.00
79.	News paper agent	250.00
80.	Optician or dealer in Spectacles	250.00
81.	Private Finance Company owner	500.00
82	Petrol pump or dealer in petrol, Mobil oil & Lubricants	500.00
83.	Printing Press owner	250.00
84	Painter, Sign Board writer	250.00
85	Pan, Biri and Cigarettes seller	250.00
86.	Picture Framer	250.00
87.	Plywood dealer	250.00
88.	Dealers Ready made Garments	250.00
89.	Repairer of TV, VCR, Refrigerators, Radios and other electrical articles	250.00
90.	Radios or Loudspeakers seller or hire	250.00
91.	Regimental Bania	250.00
92.	Shoe shop owners	250.00
93.	Sweet meat seller	250.00
94.	Shoe-maker, shoe repairer	250.00
95.	Sports Goods seller	250.00

1	2	3
96.	Tailoring shop owners . . .	250.00
97.	Tailor	250.00
98.	Tanner	250.00
99.	Trunks, Buckets, Boxes seller . .	250.00
100.	TV, Video, Tape Recorder, Electronic Goods dealer	250.00
101.	Utensils Aluminium seller . .	250.00
102.	Vaid or Hakim	250.00
103.	Whole sale cloth merchant . .	500 00
104.	Whole sale dealer in grains, Vanaspati, Sugar, Cigarettes, Biris . .	500.00
105.	Watch maker or repairer . . .	250.00
106.	Welder	250.00
107.	Washerman	250.00
108.	Other trades not shown above . .	250.00

K. P. SHARMA
Cantt. Executive Officer Morar

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF TEXTILES

Bombay-400 009, the 26th November 1991

No. 80(18)/85-ADM.—In exercise of the powers conferred by Section 23, read with Sub-clauses (c), (d) and (e) of sub-Section (2) of Section 4 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Textiles Committee, with the previous sanction of the Central Government, makes the following regulations to further amend the Mill-made Cotton Cloth Inspection, Regulations, 1966, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Mill-made Cotton Cloth Inspection (Amendment) Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Mill-made Cotton Cloth Inspection Regulations, 1966 (hereinafter referred to as the said regulations), for clauses (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(c) 'Major Flaw' means—

(i) Yarn Defects,

(1) Prominently noticeable slub.

(2) Prominently noticeable slubby weft but not exceeding 15 centimetres along the length of the cloth.

(3) Prominently noticeable coloured flecks.

(ii) Weaving Defects (Warp Way),

(1) 2 to 4 adjacent missing ends or 4 to 6 ends missing at a place across the width, but not adjacent.

(2) 5 to 6 adjacent missing ends or 7 to 8 missing ends at a place across the width but not adjacent and not extending beyond 15 centimetres.

(3) Prominently noticeable coloured (other than chalk marks) or oily or soiled ends.

(4) Float—0.5 to 6 square centimetres of 2 or more threads on both directions.

(iii) Weaving Defects (Weft way),

(1) Crack—two or more full picks missing and not exceeding 0.5 centimetres along the length of the cloth.

(2) Prominently noticeable weft bar or wrong weft due to the difference in count, twist, colour, shade or pick spacing of adjacent groups of weft yarns not exceeding 5 centimetres length of cloth except in case of cramming of picks not exceeding 2 centimetres.

(3) Oily weft comprising of more than one pick stained with oil either fully or partially, not exceeding 5 centimetres along the length of the cloth.

(4) Box marks, not exceeding 15 centimetres along the length of the cloth.

(5) Prominently noticeable slough-off.

(6) Prominently noticeable broken ends woven-in-bunch.

(7) Stitches and snarls covering more than 5 centimetres along the length of the cloth.

(iv) Bleaching/Dyeing Defects,

(1) Spot defects viz., dye-stuff stain, blurred or dark patch, white spot, bleaching spot etc., of over 1 square centimetre to 6 square centimetres.

(2) Linear defects viz., patchy, streaky, uneven dyeing, dye bar, uneven bleaching, etc., not exceeding 15 centimetres along the length of the cloth.

(v) Printing Defects,

(1) Prominently noticeable spot defects viz., dye-stuff stain, mis-print, absence of print, defect caused by hanging threads, Doctor's stain, etc.

(2) Prominently noticeable linear defects viz. uneven printing or tinting, defect caused by non-alignment, Doctor's line, absence of printing, scrimp, etc., not exceeding 15 centimetres along the length of the cloth.

(vi) Piling and Raising Defects,

(1) Spot defects viz., pileless spot, uneven or loose pile spot, uneven raised spot etc., over 2 square centimetres to 8 square centimetres.

(2) Prominently noticeable linear defects viz., uneven or loose piles or uneven raising or absence of piling/raising not exceeding 15 centimetres along the length of the cloth.

(vii) Embroidery Defects,

(1) Spot defects viz., defective or absence of embroidery.

(2) Linear defects viz., defective or absence of embroidery, not exceeding 15 centimetres along the length of the cloth.

(viii) Miscellaneous Defects,

(1) Prominently noticeable gout.

(2) Prominently noticeable broken pattern.

(3) Oil or other stain not exceeding 6 square centimetres or 15 centimetres along the length of the cloth.

(4) Hole, cut or tear of length on any direction not exceeding 0.6 centimetre.

(5) Local distortion causing bare place of over 0.5 centimetre in the warp way and 5 centimetres in the weft way.

(6) Bowing of cloth or design over 5%, but not exceeding 15 centimetres along the length of the cloth.

(7) In case of furnishing fabrics all selvedge defects listed under minor flaws other than weaving defects.

NOTE: (a) Major Flaws occuring more than one in number within a length of 15 centimetres of the cloth shall be reckoned as one major flaw only.

(b) Major Flaws occuring in a consecutive length beyond 15 centimetres shall be reckoned as one major flaw each for every 15 centimetres or part thereof. This will not apply to major flaws where linear magnitude has been limited to 15 centimetres.

(da) 'Material' means woven fabric of running length wholly of cotton origin, irrespective of any embroidery work of any fibre on such fabric other than that of handloom but does not include—

(1) items essentially to be classified as small items/made-ups irrespective of their length.

(2) cut length fabrics upto 6.5 metres.

(3) narrow width cloth, mop and duster cloth, umbrella cloth, chemically coated fabric, tyre cord fabric, mosquito net square mesh, book binding cloth and gauge cloth of the following counts and construction —

Counts 30s and above

Construction : 60 or less threads per square inch with the maximum of 24 picks per inch,

(4) material marked as 'SECONDS' in full and not in abbreviation, and

(5) Sample clearly marked so on each piece and consignment not exceeding 250 metres

(db) 'Minor Flaw' means—

(1) any flaw from the types of major flaws but of a lesser magnitude but noticeable,

(2) distortion of weft,

(3) lashing-in,

(4) untrimmed loose threads,

(5) spot defects viz, hole, cut, tear, float, pulled-in selvedge, etc, and,

(6) linear defects viz., wavy selvedge, stain, dyeing, bleaching and printing defect

Note :- Minor flaws occuring more than one in number within 15 centimetres length of the cloth shall be reckoned as one minor flaw only and such minor flaws shall be reckoned at the rate of one for every 15 centimetres length of the cloth

(e) 'Serious Flaw' means—

(1) any flaw from the types of major flaws but of a greater magnitude,

(2) more than one double end running throughout the piece,

(3) more than 5 ends floating extending beyond 15 centimetres,

(4) smash definitely rupturing the texture of the material, and

(5) reed marks prominently noticeable over length exceeding 5% of the length of the piece.

In regulation 3 of the said regulations,

(i) in clause (i), for the words 'The mills will flag all the serious and major defects', the words 'The mills shall flag all major and minor flaws, shall be substituted;

(ii) for clause (ii), the following shall be substituted, namely —

(ii) It shall be the further responsibility of the mills to ensure that the number of two part or multiple part pieces or short length pieces are in conformity with the manner and extent provided in the contract";

(iii) in clause (iii) for the figures "20,000", the figures "25 000", shall be substituted;

(iv) after clause (iv), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(v) All the pieces in the lot offered for inspection shall compulsorily be marked with the dimensions in the manner and units provided for in the foreign buyer's contract in a clear manner

(vi) The application shall be made by the exporter, or on his behalf by the mills, along with the relevant documents like contract copy, packing list etc It shall also be the responsibility of the exporter to furnish samples, as approved by the foreign buyer, for general appearances, if any, or, in the absence of any such approved samples, the specifications provided in the export contract"

4 In regulation 4 of the said regulations, in clause (a), for the words 'with reference to specifications and standards for flaws' the words "with reference to specifications and standards for flaws and general appearance" shall be substituted

5 In regulation 5 of the said regulations—

(i) in clause (b),—

(a) in sub-clause (ii), for the words "first sample", the words 'first sample or the quantity falling short of 600 metres meant for pooled sample sample size, whichever is lower' shall be substituted,

(b) in explanation 4 for the words "full width", the words "full width and additional sample, as may be required", shall be substituted;

(ii) in clause (c),—

(a) for sub-clause (vi), the following shall be substituted, namely —

"(vi) If the general appearance of the fabric covering aspects like unevenness of yarn, kittiness, nepiness, reediness, design, whiteness, feel or finish does not compare favourable with that of the sample as approved by the foreign buyer or, in the absence of such sample, a sample furnished by the exporter",

(b) in the table under the heading "Standard-A", for the entries under columns 1 and 2, the following shall be substituted, namely —

STANDARD 'A'

Acceptance Number for First Sample or for the First and Second Samples pooled together	Outright Rejection Number for First Sample
1	2
40	53
39	52
38	51
37	50
36	49
35	48
34	47
33	46
32	45
31	44
31	43
30	42
29	41
28	40
27	39
26	38
25	37
24	36
23	35
23	34
22	33
21	32
20	31
19	30
18	29
17	28
16	27
16	26
15	25
14	24
13	23
12	22
11	21
11	20

1	2
10	19
9	17
8	16
7	15
6	14
6	13
5	12
4	11
3	10
3	8
2	7

(c) after sub-clause (viii), the following sub-clauses shall be inserted, namely :—

"(ix) If the number of minor flaws are exceeding the rate of 25 per 100 metres;

(x) If the short length pieces or two part or multiple part pieces in the lot offered for inspection is not in accordance with the provision of clause (ii) of regulation 3, except for quantitative aspects, or if the dimensions are not marked in the manner specified in these regulations;

(xi) If the packing is not as per the requirement of the foreign buyer or as per the standard specified by the Bureau of Indian Standards/ Committee."

6. In regulation 6 of the said regulations, for the words "Weight per piece", the words "Weight per square metre" shall be substituted.

7. In regulation 7 of the said regulations,—

(a) for the words "The lot inspected and passed shall be marked with the required stamps and packed into bales in the prescribed manner", the words "The lot inspected and passed shall be marked with the required stamps and packed in the mode of package required by the foreign buyers and in the manner prescribed by the Bureau of Indian Standards under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) or, by the Committee, as the case may be", shall be substituted;

(b) for the word "balse" wherever it occurs, the word "packages" shall be substituted.

R. K. SHARMA
Secretary

FOOT NOTE

Principal Regulations were notified vide Notification No. S.O. dt. 30-9-1966 published in Gazette of India dt. 15-10-1966 Part III Section 4 (page 831).

Subsequently amended vide—

(i) Notification No. S.O. dt. Jan '71 published in Gazette of India dt. 13-2-1971.

(ii) Notification No. S.O. dt. 6-11-1971 published in Gazette of India dt. 25-12-1971.

(iii) Notification No. S.O. dt. 20-3-1975 published in Gazette of India dt. 10-5-1975.

(iv) Notification No. 33(4)/77/AD dt. 19-12-1977 published in Gazette of India dt. 18-3-1978.

(v) Notification No. S.O. 4767 dt. 17-9-1985 published in Gazette of India dt. 12-10-1985.

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 2nd December 1991

No. 17-1/91(Pt.I)/PCI/5352-5485.—The following resolution passed by the Pharmacy Council of India at its 52nd meeting held on 30th August 1991 are published hereunder as required under section 15 of the pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) namely :—

ANDHRA PRADESH

Resolution No. 52/PCI/748

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Intermediate (Vocational) Course in Pharmacy (Diploma in Pharmacy) conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Intermediate (Vocational) Course in Pharmacy (Diploma in Pharmacy) in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of Institutions in A.P.	For admns. limited to	Approved upto academic session
Dr. Zakir Hussain Junior College, Ibrahimpatnam, (Krishna Dt.)	20	1987-88 to 1991-92
Ramakrishna Jr. College, Munugode (Dist. Nalgonda)	20	1991-92
Sri Dwarkanath Jr. College, Madanapalle.	60	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Intermediate (Vocational) Course in Pharmacy (Diploma in Pharmacy) examination held by the Board of Intermediate Education, A.P., Nampally, Hyderabad, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

ANDHRA PRADESH

Resolution No. 52/PCI/749

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of Institutions in A.P.	For admns. limited to	Approved upto academic session
Govt. Polytechnic for Women, Hindupur.	30	1992-93
S.V. Govt. Polytechnic, Tirupati.	30	1991-92
Sree VCM Polytechnic, Badvel.	30	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the State Board of Technical Education and Training, A.P., Hyderabad, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.

ASSAM

Resolution No. 52/PCI/750

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of Institution in Assam	For admns. limited to	Approved upto academic session
Institute of Pharmacy, Assam Medical College, Dibrugarh. . .	100	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Dibrugarh University, Dibrugarh, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

GUJARAT

Resolution No. 52/PCI/751

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in Gujarat	For admns. limited to	Approved upto academic session
Shri M.N. College of Pharmacy, Cambay (Khambhat).	120	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Gujarat University, Navrangpura, Ahmedabad during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

GUJARAT

Resolution No. 52/PCI/752

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in Gujarat	For admns. limited to	Approved upto academic session
Dayaram Patel Pharmacy College, Bardoli.	60	1993-94

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the South Gujarat University, Surat, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

GUJARAT

Resolution No. 52/PCI/753

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in Gujarat	For admns. limited to	Approved upto academic session
Sri B.K. Mody Govt. Pharmacy College, Rajkot.	60	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Suarashtra University, Rajkot, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

KARNATAKA

Resolution No. 52/PCI/754

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institutions in Karnataka	For admns. limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Bharat Education Society's Institute of Pharmacy, Bangalore.	60	1992-93
Dayananda Sagar Institute of Pharmacy, Bangalore.	60	1992-93
Sree Siddaganga College of Pharmacy, Tumkur.	60	1991-92
Anupama College of Pharmacy, Mahalaxmipuram, Bangalore.	60	1992-93
College of Pharmaceutical Sciences, Manipal.	120	1991-92
A.F.C. & E. Association's Al-Falah College of Pharmacy, Hubli.	60	1991-92

1	2	3
Milind Institute of Pharmacy, Bangalore.	60	1992-93
Togari Veeramallappa Memorial College of Pharmacy, Bellary.	60	1991-92
S.C.S. College of Pharmacy, Harapanahalli.	100	1991-92
N.G.S.M. Institute of Pharmaceutical Sciences, Derlakatte, Mangalore.	60	1992-93
Sri Ramakrishna College of Pharmacy, Chickmangalur.	40	1990-91 to 1991-92
Sri K.V. College of Pharmacy, Chickbalapur.	60	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of Examining Authority, C/o Office of the Drugs Controller, Palace Road, Bangalore during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

KERALA

Resolution No. 52/PCI/755

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institutions in Kerala	For admns. limited to	Approved upto academic session
Mannam College of Pharm. Sciences, Trichur.	40	1991-92
Kottayam Medical College, Kottayam.	30	1991-92
Calicut Medical College, Calicut.	50	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of D. Pharm. Examination, Office of Dte. of Medical Education Trivandrum, during the session mentioned above to an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

MAHARASHTRA

Resolution No. 52/PCI/756

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institutions in Maharashtra	For admns. limited to	Approved upto academic session
Govt. College of Pharmacy, Karad.	60	1991-92
Shivaji Instt. of Pharmacy, Parbhani.	30	1991-92
Vidya Bharati College of Pharmacy, Amravati.	60	1991-92
Appasaheb Birnale College of Pharmacy,	8	in 1985-86
Sangli.	10	in 1986-87
	36	in 1987-88
	30	in 1988-89
	60	from 1989 to 1992.
B.V. Institute of Technology and Pharmacy (Polytechnic), New Bombay.	60	1992-93
Bharti Vidyapeeth poona college of pharmacy (Palytechnic) Poona.	120	1991-92
Pharmacy College, Padhambe.	30	1991-92
Satara Polytechnic. Satara.	60	1991-92
Shad Adam Shaikh Poly., Bhiwandi.	60	1988-89 to 1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of Technical Examinations, M.S., Bombay during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

ORISSA

Resolution No. 52/PCI/757

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institutions in Orrisa	For admns. limited to	Approved upto academic session
Siddeswar College of Pharm. Sciences, Amarda Road, Balasore.	40	1992-93
Gayatri Pharmaceuticals Training Institute, Sambalpur.	40	1986-87 to 1990-91
College of Pharmaceutical Sciences, Puri.	40	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Orissa State Board of Pharmacy, New Nandan Kanan Road, Bhubaneshwar, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

PUNJAB

Resolution No. 52/PCI/758

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institutions in Punjab	For admns. limited to	Approved upto academic session
Indo-Soviet Friendship College of Pharmacy, Moga.	100	1991-92
J.R. Govt. Polytechnic, Hoshiarpur.	30	1987-88 to 1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Director of Technical Education & Industrial Training (Tech. Education Wing), Punjab, Chandigarh during the session mentioned above to an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

TAMIL NADU

Resolution No. 52/PCI/759

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institutions in T.N.	For admns. limited to	Approved upto academic session
Nadar Mahajana Sangam Pharmacy College, Mathar-Thiruvattar, (Distt. Kanyakumari)	60	1992-93
K.M.R. College of Pharmacy, Perundurai, (Dist. Periyar).	60	1991-92
K.M. College of Pharmacy, Madurai.	100	1992-93
National College of Pharmacy, Madras.	60	1989-90 to 1991-92
J.S.S. College of Pharmacy, Ootacamund.	120	1992-93
Coimbatore College of Pharmacy, Erode.	40	1991-92
Dr. Karthikeyan College of Pharmacy, Royapuram, Madras.	60	1990-91 to 1991-92
Pandyan College of Pharmacy, Madurai.	60	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of Examiners for Diploma in Pharmacy, C/o. Director of Medical Education, T.N., Madras, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

Resolution No. 52/PCI/760

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in T.N.	For admns. limited to	Approved upto academic session
Institute of Pharmaceutical Technology, Faculty of Engg. & Tech, Annamalai Nagar.	50	1992-94

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Annamalai University, Annamalai Nagar (T.N.) during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

UTTAR PRADESH

Resolution No. 52/PCI/761

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in U.P.	For admns. limited to	Approved upto academic session
Govt. Polytechnic, Dwarhat, (Distt. Almora).	30	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma examination in Pharmacy held by the Board of Technical Education, U.P., Lucknow, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

DEGREE ANDHRA PRADESH

Resolution No. 52/PCI/762

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for degree in Pharmacy in

respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in A.P.	For admns. limited to	Approved upto academic session
University College of Pharmaceutical Sciences, Warangal.	30	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Kakatiya University, Warangal during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act."

DEGREE BIHAR

Resolution No. 52/PCI/763

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of Institution in Bihar	For admns. limited to	Approved upto academic session
Muzaffarpur Institute of Technology, Muzaffarpur	15	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Bihar University, Muzaffarpur, Bihar during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act."

DEGREE GOA

Resolution No. 52/PCI/764

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of Institution in Goa	For admns. limited to	Approved upto academic session
Goa College of Pharmacy, Panaji (Goa).	30	1993-94

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Goa University, Panaji during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act."

DEGREE KARNATAKA

Resolution No. 52/PCI/765

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of Institution in Karnataka	For admns. limited to	Approved upto academic session
Govt. College of Pharmacy, Bangalore.	60	1993-94

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Bangalore University, Bangalore during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act."

DEGREE KARNATAKA

Resolution No. 52/PCI/766

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of Institution in Karnataka	For admns. limited to	Approved upto academic session
S.C.S. College of Pharmacy, Harapanahalli.	60	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Gulbarga University, Gulbarga during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act."

DEGREE KARNATAKA

Resolution No. 52/PCI/767

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of Institution in Karnataka	For admns. limited to	Approved upto academic session
KLE Society's College of Pharmacy (J.N.M. edical College Campus), Belgaum.	30	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Karnataka University, Dharwar during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act."

DEGREE KERALA

Resolution No. 52/PCI/768

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in Kerala	For admns. limited to	Approved upto academic session
College of Pharm. Sciences, Medical College, Trivandrum.	30	1993-94

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the University of Kerala, Trivandrum during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

DEGREE MAHARASHTRA

Resolution No. 52/PCI/769

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institutions in M.S.	For admns. limited to	Approved upto academic session
Poona College of Pharmacy, Poona.	60	1992-93
College of Pharmacy, Nasik.	60	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the University of Poona, Poona during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

DEGREE MAHARASHTRA

Resolution No. 52/PCI/770.

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institutions in M.S.	For admns. limited to	Approved upto academic session
Nagpur Colleage of pharmacy Atre-Layout, Nagpur.	60	1985-86 to 1991-92
Deptt. of Pharm. Sciences, Nagpur University, Nagpur.	30	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy held by the Nagpur University, Nagpur during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.

DEGREE MAHARASHTRA

Resolution No. 52/PCI/771

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of Institution in M.S.	For admns. limited to	Approved upto academic session
C.U. Shah College of Pharmacy, Bombay.	30	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the S.N. D.T. Women's University, Bombay during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

DEGREE RAJASTHAN

Resolution No. 52/PCI/772

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of Institution in Rajasthan	For admns. limited to	Approved upto academic session
Bhupal Nobles College, Udaipur.	40	1986—87 to 1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in

Pharmacy held by the University of Rajasthan, Jaipur during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

DEGREE TAMIL NADU

Resolution No. 52/PCI/773

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in T.N.	For admns. limited to	Approved upto academic session
K.M. College of Pharmacy, Madurai.	50	1985-86 to 1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Madurai Kamraj University, Palkalai Nagar, Madurai during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

DEGREE TAMIL NADU

Resolution No. 52/PCI/774

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institutions in T.N.	For admns. limited to	Approved upto academic session
C.L. Baid Mehta College of Pharmacy, Madras.	15	1991-92
J.K.K. Natarajah College of Pharmacy, Komarapalayam.	40	1985-86 to 1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the University of Madras, Madras during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.

DEGREE TAMIL NADU

Resolution No. 52/PCI/775

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in T.N.	For admns. limited to	Approved upto academic session
J.S.S. College of Pharmacy, Ootacamund.	50	1991-92

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Bharathiar University, Coimbatore T.N. during the session mentioned above to be an approevd examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.

DEGREE UTTAR PRADESH

Resolution No. 52/PCI/776

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in U.P.	For admns. limited to	Approved upto academic session
Deptt. of Pharmaceutics, Banaras Hindu University, Varanasi.	25	1993-94

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Banaras Hindu University, Varanasi during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act.

DEGREE DELHI

Resolution No. 52/PCI/777

(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institution in Delhi	For admns. limited to	Approved upto academic session
Faculty of Pharmacy Jamia Hamdard (Formerly Hamdard) College of Pharmacy, New Delhi.	30	1992-93

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree examination in Pharmacy held by the Delhi University, Delhi during the

session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.

CORRIGENDUM

No. 17-1/91-PCI/5486-5510.—In the notification of resolutions passed by the 51st meeting of the Pharmacy Council of India published in the Gazette of India No. 11, Part III, Section 4 dt. 16-3-91 (on page Nos. 584-588) the following corrigendum is issued :—

1. In resolution No. 51/PCI/732 on page No. 585.

(i) in the first para, 3rd line, after the words "Diploma course" and before word "conducted", add "in Pharmacy".

(ii) in first para, between fourth & fifth line after the word "approved" & before "examination" add "course of study for the purpoes of admission to an approved".

2. On page No. 588 after Resolutoin No. 51/PCI/746, after 7th line of para (2) and above the resolution of "Bihar College of Pharmacy, Baily Road, Patna (Bihar)", add the words, "Resolution No. 51/PCI/747.

DEVINDER K. JAIN
Registrar-cum-Secretary
Pharmacy Council of India
New Delhi

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay-400 005, the 1st December 1991

CORRIGENDA

No. UT. DBDM/241/SPD 143/91-92.—Please refer to the publication of our notificatoin No. UT/DPD/SPD-143/90-91 dated 7th May 1991 on page No. 1847 in the Gazette of India (Part III Section 4) dated May 25, 1991.

The text requires a minor correction which we have indicated here below :

DEFERRED INCOME UNIT SCHEME-1990

S. No.	Page No.	Col. No.	Clause/ sub-clause	Corrections
1	1847	2	XV (1)	The sentence "by the Trust at its Head Offices" should be deleted.

USHA SWAMINATHAN
Deputy Manager
(Business Devt. & Marketing)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991